आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 15 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 10 अगस्त, 2017 पृष्ठ-12 (विशेषांक) मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

''सत्यमेव जयते''

71वें स्वतंत्रता दिवस की रस्म अदायगी

हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद घोषित हुआ और इस आजादी के हम 70 वर्ष पूरे कर चुके है किंतु हर वर्ष जब भी हम इस पर्व को मनाते है देश में भय एवं खौफ का वातावरण दिखाई देता है हर पल किसी आंतकी घटना का भय हमारे दिलों और दिमाग में रहता है और इस पर्व की केवल रस्म अदायगी ही होती है। इन 70 वर्षों में देश में जो भी घटना घटी या जो भी समस्यायें दिखाई दी क्या उसने हमें यह एहसास कराया कि हम आजाद देश के नागरिक है? इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजों ने देश को आजाद करते वक्त कूछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हमारी सरकार से हस्तान्तरण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाये थे किंन्तु सरकार ने जान बूझकर आज तक उन दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया।

हमें बचपन से ही स्कूलों में पढाया गया कि इस देश को गांधीजी ने बिना किसी खडग ढाल के शांतिप्रिय आंदोलन के द्वारा देश को आजादी दिलवाई। जबकि यह सही नहीं है। इस आजादी में गांधीजी के अलावा हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का भी योगदान कम नहीं था। जहां तक आजादी को शांति से मिली आजादी बताने वाले शायद यह भूल गये कि गांधीजी ने कहा था कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर होगा। किन्तु फिर भी बंटवारा हुआ और लाखों लोगों की हत्यायें हुई। पाकिस्तान से लाखों लोग विस्थापित होकर भारत आये और उन्होंने जो भी कष्ट भोगा वह शायद दुनिया के दूसरे मुल्क जो आजाद हुए है शायद ही उन्होंने भोगा होगा। आजादी में जो स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था उसे हम कभी भुला नहीं सकते।

यह सच है कि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ किन्तु बंटवारें के बावजूद करोडों मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गये और वह यहीं रह गये। हमारे देश ने आजादी के वक्त ही कह दिया था कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष होगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किंतु आजादी के बाद क्या हुआ उस पर भी विचार किया जाना जरूरी होगा।

आजादी के तुरंत बाद सत्ता कांग्रेस को हासिल हुई और यह देखा गया कि कांग्रेस ने अपनी योजना के तहत मुस्लिम और दलितों को अपने साथ बनाये रखने के लिए तरह–तरह के उपाय किये और उन्ही की वजह से कांग्रेस वर्षों तक सत्ता पर काबिज रही। ज्यों ही यह फार्मूला देश के अन्य राजनीतिक दलों को समझ में आया उन्होंने भी मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथखंडे अपनाये और वह देश की सत्ता पर काबिज हुए। देश में साम्प्रदायिक तनाव बढता ही चला गया और साम्प्रदायिकता की आग में देश में अनेकों घटनायें इसकी गवाह बनी।

आजादी के बाद शासकीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुए। अंग्रेजों के समय से चली आ रही पुलिस व्यवस्था को हमने पूरी तरह अपनाया और पुलिस द्वारा जिस तरह अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई जाती थी वैसी ही निष्ठा पुलिस ने शासन करने वाले राजनैतिक दल के प्रति दिखाई। आज हम राजनेताओं के बोल सुनते है और वह आरोप लगाते है कि पुलिस सरकार की कठपुतली है और वह राजनैतिक बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है।

पुलिस के बाद देश की जेलों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। जेले विचाराधीन बंदियों से भरी पडी है और विडम्बना यह है कि आरोपी अपराध की सजा से भी अधिक समय से जेल में बंद है। परिणामस्वरूप जेले अपराध ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील हो गई है।

पहले जो अपराधी राजनेतओं के लिए वोटों की व्यवस्था करते थे और अपनी दादागिरी से उन्हें सत्ता तक पहुंचाते थे जब उन्हे यह फार्मूला समझ में आ गया तो वह स्वयं चुनाव लडकर न केवल नेता बने बल्कि मंत्री पद तक पहुंच गये। चिंताजनक स्थिति यह है कि देश की संसद और विधानसभाओं में अपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं की भरमार है और मंत्री पद तक प्राप्त किए हुए हैं।

देश की अदालत में करोडों मामले लंबित है। जिन्हें निपटाने में 500 वर्ष लगने की संभावना है वर्तमान न्याय व्यवस्था में न सरकार कोई सुधार चाहती है और न ही न्यायपालिका। परिणामस्वरूप इसका दंस देश का आम नागरिक भोग रहा है।

मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा रही है और तीन तलाक पर देश में बहस जारी है। देश का मुस्लिम शरिया कानून के तहत तीन तलाक को जायज ठहरा रहा है वही

(शेष पृष्ठ नौ पर)

''सत्यमेव जयते''

आजादी पर कवि की व्यथा

माना गांधी ने कष्ट सहे थे,
अपनी पूरी निष्ठा से,
और भारत प्रख्यात हुआ है,
उनकी अमर प्रतिष्ठा से।।
किन्तु अहिंसा सत्य कभी,
अपनों पर ही ठन जाता है।
घी और शहद अमृत है पर,
मिलकर के विष बन जाता है।।
अपने सारे निर्णय हम पर,
थोप रहे थे गांधी जी।
तुष्टिकरण के खूनी खंजर,
घोंप रहे थे गांधी जी।।
महाक्रांति का हर नायक तो,
उनके लिए खिलौना था।
उनके हठ के आगे,
जम्बूदीप भी बौना था।।
इसीलिये भारत अखण्ड,
अखण्ड भारत का दौर गया।
भारत से पंजाब, सिंध,
रावलपिंडी, लाहौर गया।।
तब जाकर के सफल हुए,
जालिम जिन्ना के मंसूबे।
गांधी जी अपनी जिद में,
पूरे भारत को ले डूबे।।
भारत के इतिहासकार,
थे चाटुकार दरबारों में।
अपना सब कुछ बेच चुके थे,
नेहरू के परिवारों में।।
भारत का सच लिख पाना,
था उनके बस की बात नहीं
वैसे भी सूरज को लिख पाना
जुगनू की औकात नहीं।
आजादी का श्रेय नहीं है
गांधी के आंदोलन को
इन यज्ञों का हव्य बनाया
शेखर ने पिस्टल गन को।
जो जिन्ना जैसे राक्षस से,
मिलने जुलने जाते थे
जिनके कपड़े लंदन पेरिस
दुबई में धुलने जाते थे।।
कायरता का नशा दिया है
गांधी के पैमाने ने
भारत को बर्बाद किया
नेहरू के राजघराने ने।
हिन्दु अरमानों की जलती
एक चिंता थे गांधीजी
कौरव का साथ निभाने वाले
भिष्मपिता थे गांधी जी।
अपनी शर्तो पर इरविन तक
को भी झुकवा सकते थे
भगत सिंह की फांसी को
दो पल में रूकवा सकते थे।
मंदिर में पढ़कर कुरान,
वह विश्वविजेता बने रहे।
ऐसा करके मुस्लिम जन
मानस के नेता बने रहे।।
एक नवल गौरव गढ़ने की
हिम्मत तो करते बापू
मजिस्द में गीता पढ़ने की
हिम्मत तो करते बापू।
रेलों में हिन्दू काट काटकर
भेज रहे थे पाकिस्तानी
टोपी के लिए दुखी थे
पर धरती की एक नहीं मानी।
मानों फूलों के प्रति ममता
खत्म हो गई माली में
गांधीजी दंगों में बैठे थे
छिपकर गोवा खाली में।
तीन दिवस में श्रीराम का
धीरज संयम टूट गया
सौवीं गाली सुन काना का
चक्र हाथ से छूट गया।
गांधीजी की पाक परिस्थिति पर
जब भारत लाचार हुआ
तब जाकर नाथू
बापू वध को मजबूर हुआ।
गये सभा में गांधी जी
करने अंतिम प्रणाम
ऐसी गोली मारी गांधी को
याद आ गये श्रीराम।
भूख अहिंसा के कारण ही
भारत का आंचल फट जाता
गांधी जीवित होते तो
फिर देश दोबारा बंट जाता।
थक गये है हम
प्रखर सत्य की अर्थी को ढ़ोते ढ़ोते
कितना अच्छा होता जो
नेताजी राष्ट्रपिता होते।
नाथू को फांसी लटकाकर
गांधी को न्याय मिला
और मेरी भारत मां को
बंटवारे का अध्याय मिला।
लेकिन जब भी कोई भिष्म
कौरव का साथ निभायेगा
तब तब कोई अर्जुन रण में
उन पर तीर चलायेगा।
अगर गोडसे की गोली
उतरी न होती सीने में
तो हर हिन्दू पढ़ता नमाज
फिर मक्का और मदिने में।
भारत की बिखरी भूमि
अब तलक समाहित नहीं हुई
नाथू की रखी अस्थी
अब तलक प्रवाहित नहीं हुई।
इससे पहले अस्थि कलश को
सिंधु सागर की लहरें सींचे
पूरा पाक समाहित कर लो
इस भगवा झंडे के नीचे।।

जय हिन्द

सम्पादकीय ....

सत्यमेव जयते

किरायेदारों के मामलों को वरीयता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी अदालतों को किरायेदारों से घर या दुकान खाली कराने के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए। फिर चाहे मकान मालिक और किरायेदार के बीच के ये मुकदमे किसी भी चरण में क्यों न हों। सर्वोच्च अदालत का मानना है कि इस कानून का मकसद मकान मालिक के किरायेदारों को निकालने के मामलों का जल्द निपटारा करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब सभी अदालतें ऐसे मामलों में अपनी पूरी तवज्जो देंगी।

जस्टिस ए.एम. सप्रे और आर.भानुमति ने एक दशक से अधिक पुराने केरल के एक ऐसे ही मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि किरायेदार को निकाले जाने के मामले अदालतों में लम्बे समय तक लम्बित रहते हैं। खण्डपीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक मकान मालिक की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि किरायेदार को घर से निकालने के मामलों को निपटारे में वरीयता मिलनी चाहिए। खासकर ऐसे मामलों में जहां मकान मालिक अपनी प्रमाणिक और मूलभूत जरूरतों के लिये किरायेदार से अपना घर खाली कराना चाहता है। हम उम्मीद और विश्वास करते हैं कि निष्कासन के मामलों में सभी चरणों में मुकदमों का वरीयता के आधार पर निस्तारण होगा।

अपने फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए किरायेदारों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने पर हाई कोर्ट और निचली अदालत को कड़ी फटकार लगाई। केरल हाई कोर्ट ने जनवरी 2016 में अपने फैसले में आठ किरायेदारों में से एक की ओर से दायर याचिका स्वीकार की थी जिससे किराये की दुकान खाली कराई गई थी। अन्य सात किरायेदारों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती नहीं दी थी।

हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया की विडम्बना यह है कि हम विवाद के मूल कारण पर विचार करना ही नहीं चाहते। जैसे मकान मालिक एवं किरायेदार के मामलों में अधिकतर मामले मकान खाली कराने के होते हैं जिनमें देखना यह होता है कि किरायेदार एवं मकान मालिक दोनों की मूल समस्या क्या है? मकान मालिक मकान खाली कराना चाहता है और किरायेदार खाली नहीं करना चाहता। इस मूल मुद्दे तक पहुंचने में ही कोर्टों को 10 वर्ष लग जाते हैं। जबकि 10 वर्ष उन बातों में लग जाते हैं जो विवादित विषय ही नहीं होते हैं। मकान मालिक किरायेदार के मध्य अलग से अनुबंध भी लिखा जाता है कि उसे इतने वक्त बाद मकान खाली करना होगा किन्तु न्यायालय इस अनुबंध पर भी विचार नहीं करता। देश की सर्वोच्च अदालत के इस आदेश से अब यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में इस व्यवस्था में सुधार होगा?

सत्यमेव जयते।

प्रणव रॉय पर सनसनी खेज खुलासे

मीडिया बंटा हुआ है। न तो कोई निरपेक्ष है और न कोई निष्पक्ष। सीबीआई ने एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के ठिकानों पर छापेमारी की..... लेकिन इस खबर को सिर्फ जी न्यूज ने ही दिखाया..... एनडीटीवी ने छापेमारी की खबर को नहीं दिखाया बल्कि अपनी सफाई और अपने आपको पीड़ित की तरह पेश करने लगा.....। अहसास कराने लगा कि मीडिया पर हमला है। यह मलिक के दफ्तर और घर पर छापा था। क्या किसी ने एनडीटीवी के न्यूज प्रसारण को थोड़े ही रोका था, जो मीडिया पर हमला हो गया।

यह आज का मामला नहीं है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रिकाल में एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ कई केस कांग्रेस सरकार ने ही दर्ज करवाए हैं.... ताजा छापे 48 करोड़ के घोटाले पर मारे गये... स्वाभाविक है कि घाघ एनडीटीवी इसे अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया की आजादी से जोड़कर खुद को सत्ता द्वारा पीड़ित दिखाने लगा है, जो की है ही नहीं।

चेहरे पर मत जाइए। आपसी व्यवहार में दिखने में बेहद सौम्य फरटिदार अंग्रेजी बोलने वाले प्रणव रॉय को हम सालों से अच्छी तरह से जानते हैं। प्रणव रॉय देश में टिपिकल तथाकथित सेकुलर जमात के संरक्षक हैं... ऐसी सेकुलर जमात जिसे सिर्फ हिन्दुओं से ही नफरत हो... जिसे सिर्फ हिन्दूवादी सोच से ही नफरत हो... लेकिन इस्लाम से बेहद प्यार हो... जिसे कट्टरपंथी इस्लामिक सोच से कोई परेशानी नहीं है।

इन दिनों चर्चित पुस्तक ''एनडीटीवी फ्राड्स'' में प्रणव रॉय और राधिका रॉय के कुकर्मों की लम्बी गाथा है... किताब में तमाम तथ्य हैं.... किताब के अनुसार सारे केस कांग्रेस ने ही तब दर्ज करवाए जब प्रणव रॉय के कुकर्म छप्पर फाड़कर बोलने लगे। पाप का घड़ा कभी तो भरता ही है।

अमेरिका में भारतीयों ने राजदीप सरदेसाई को यूं ही नहीं पीटा था। मीडिया जगत को मालूम ही है कि प्रणव रॉय और राजदीप सरदेसाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं... प्रणव रॉय की पत्नी राधिका रॉय कट्टर कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात की सगी बहन है... घोर हिन्दू विरोधी कश्मीर को पाकिस्तान को देने की बात करने वाली सीरियन ईसाई अरूंधती रॉय भी प्रणव रॉय की कजिन है.... प्रणव रॉय हिन्दू नहीं बल्कि सीरियन ईसाई है... और इनकी मां आइरिश मूल कट्टर कैथोलिक इसाई है। राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष के पिता भास्कर घोष हैं... जो कांग्रेस राज में दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक थे... भास्कर घोष ने अपनी बेटी सागरिका और दामाद राजदीप सरदेसाई को एनडीटीवी में रखवा दिया... राजदीप सरदेसाई को प्रणव ने एनडीटीवी में नम्बर दो की पोजीशन दी... बदले में भास्कर घोष ने दूरदर्शन के सभी साजोसामान और इन्फ्रास्ट्रक्चर को एनडीटीवी को मुफ्त में इस्तेमाल करने दिया... इतना ही नहीं दूरदर्शन के पत्रकार जो भी टेप और खबरें लाते थे उसे चुपके से मुफ्त में एनडीटीवी को दे दिया जाता था... वैसे एनडीटीवी की शुरूआत भी दूरदर्शन पर ही हुई थी... प्रणव रॉय को भास्कर घोष ने हर रविवार को ''द वर्ल्ड दिस वीक'' कार्यक्रम करने देता था... उल्टे इसके लिए प्रणव रॉय को खूब मोटी रकम दी जाती थी... भास्कर घोष दूरदर्शन के लिए साजोसामान खरीदते थे और उसे चुपके से एनडीटीवी के स्टूडियो में भेज दिया

(शेष पृष्ठ नौ पर)

सत्यमेव जयते

दिल्ली हाई कोर्ट के जज के स्थानांतरण की सिफारिश कॉलेजियम ने वापस ली

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को आंध्रप्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने संबंधी सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वापस ले लिया है। यह सिफारिश करीब एक साल पहले की गई थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने करीब चार महीने पहले यह सिफारिश लौटा दी थी। लिहाजा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसे वापस ले लिया। यह सिफारिश तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने की थी। उन्होंने पिछले साल अगस्त में इस मामले और अन्य स्थानांतरणों की प्रक्रिया में सरकार की ओर से की जा रही देरी पर खुली अदालत में चिन्ता व्यक्त की थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किए जाने संबंधी एक अन्य सिफारिश भी सरकार के समक्ष मई 2016 से लम्बित है। कॉलेजियम प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में शीर्ष पांच न्यायाधीशों का एक निकाय होता है। स्थापित प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति की सिफारिश पर जोर देता है तो सामान्यत: सरकार इसे स्वीकार कर लेती है। हालांकि, मोदी सरकार कुछ अवसरों पर कॉलेजियम के जोर देने के बावजूद सिफारिशों को लौटा चुकी है।

नए तथ्य : लॉर्ड माउंटबेटन की पुत्री पामेला हिक्स ने माउंटबेटन की पुस्तक 'डॉटर ऑफ एंपायर : लाइफ एज ए माउंटबेटन' में खुलासा

माँ और नेहरू कभी अकेले नहीं मिले, नहीं रहा संबंध

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन एक-दूसरे से प्रेम करते थे और सम्मान करते थे लेकिन उनका संबंध कभी जिस्मानी नहीं रहा क्योंकि वे कभी अकेले नहीं मिले। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुई स माउंटबेटन की पुत्री ने यह बात कही।

(शेष पृष्ठ सात पर)

व्यस्त सार्वजनिक जीवन

लॉर्ड माउंटबेटनके एडीसी फ्रेडी बर्नबाई एक्लिन्स ने बाद में पामेला को बताया था कि नेहरू और उनकी मां का जीवन इतना सार्वजनिक था कि दोनों के लिए यौन सम्बन्ध रखना संभव ही नहीं था। पामेला ने लिखा कि उनके आसपास हमेशा कर्मचारी, पुलिस और अन्य लोग मौजूद होते थे।

अंगूठी इंदिरा को दे दी थी

पामेला यह भी लिखती हैं कि भारत से जाते हुए एडविना अपनी पत्ने की अंगूठी नेहरू को भेंट करना चाहती थीं। किताब के अनुसार, 'लेकिन उन्हें पता था कि वह स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अंगूठी उनकी बेटी इंदिरा को दी और कहा, यदि वह कभी भी वित्तीय संकट में पड़ते हैं, तो उनके लिए इसे बेच दें। क्योंकि वह अपना सारा धन बांटने के लिए प्रसिद्ध हैं।'

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ से पूछे तीखे सवाल

गुजरात दंगों में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने का मामला

गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में कथित रूप से साक्ष्य गढ़े जाने से सम्बन्धित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ से तीखे सवाल पूछे। तीस्ता सीतलवाड़ अपने पुराने सहयोगी रईस खान पठान के खिलाफ जांच का विरोध कर रही हैं। शीर्ष अदालत पठान के खिलाफ जांच के मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराने वाले गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली तीस्ता सीतलवाड़ और उनके गैर सरकारी संगठन सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने कहा कि जिसने भी किया हो लेकिन यह गंभीर अपराध है। या तो वे (सीतलवाड़ और उनका संगठन) गलत है या फिर पठान गलत है। हम इसमें गौर करेंगे।

सीतलवाड़ की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पठान के खिलाफ जांच जारी रखने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उसे अदालत का गवाह बनाने की

(शेष पृष्ठ सात पर)

''सत्यमेव जयते''

अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

कोर्ट के आदेशों का अनादर जैसे हमारे खून में

न्यायालय आदेशों की अवज्ञा एक गंभीर अपराध

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. खेहर ने अवमानना के बढ़ते मामलों पर काफी नाराजगी जताई एक खास मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस खेहर ने तंज कसते हुए कहा कि आखिरकार हम ठहरे तो भारतीय ही। कानून और कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हमारे खून और संस्कृति में है।

आज यह एक चलन बनता जा रहा है कि मैं कानून का पालन नहीं करूंगा। मैं कोर्ट के निर्देशों को नहीं मानूंगा। जो भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोर्ट ने यह टिप्पणी भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के संदर्भ में की। माल्या ने न तो अपनी संपत्तियों का खुलासा किया और न ही बार-बार बुलाने पर भी कोर्ट के समक्ष पेश हुए। मामला दिल्ली के लाजपत नगर के एक रिहायशी इलाके वाले दिनेश खोसला को लेकर है। खोसला अपने घर की बिल्डिंग का उपयोग व्यावसायिक तौर पर कर रहे थे, जबकि मास्टर प्लान के हिसाब से यह आवासीय क्षेत्र है।

हमारे संविधान के अनुसार शासकीय व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है और उसके पालन कराने का दायित्व कार्यपालिका का है। किन्तु जब विधायिका द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन कार्यपालिका नहीं करती है तो संविधानिक व्यवस्था के अनुसार पीडित व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष वाद दायर करना पड़ता है और न्यायालय उभयपक्षों को सुनकर आदेश पारित करता है। न्यायालयों की लंबी, जटिल तथा खर्चीली प्रक्रिया से आम आदमी न्यायालय के नाम से ही भयभीत है क्योंकि प्रथम तो मामले के निपटारे में ही बरसों लग जाते हैं और उसके बावजूद जब वह कोई आदेश अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त करता है तो उसकी अपील उससे ऊपर के न्यायालयों में सरकार द्वारा दायर कर दी जाती है अपील में भी निर्णय की अनिश्चितता रहती है और फिर एक लंबी अवधि के बाद उसे न्यायालय से जब आदेश मिल जाता है तो कानून का पालन कराने वाली कार्यपालिका के अधिकारी उन आदेशों की पालना नहीं करते और लाचार होकर पीडित पक्ष को न्यायालय में अवज्ञा का वाद दायर करना पड़ता है। हमारी कानूनी व्यवस्था में न्यायापालिका को असीमित अधिकार प्रदान किये हुये है जिसमें यदि कोई व्यक्ति या संस्था न्यायालय से असम्मानजनक व्यवहार करे तो न्यायालय की अवमानना में उसे दण्डित किया जा सकता है और यदि किसी न्यायिक आदेश की पालना जब कार्यपालिका के अधिकारी नहीं करते हैं तो उसके विरुद्ध भी न्यायालय आदेश की अवज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। आम आदमी की भाषा में उपरोक्त दोनों ही कृत्य न्यायालय की अवमानना है किन्तु सबसे गंभीर स्थिति न्यायालय आदेशों की अवज्ञा का है क्योंकि पीड़ित पक्ष को न्याय प्राप्त करने में इतना समय, धन और मानसिक यातनायें झेलनी पड़ने के पश्चात तो उसे एक आदेश प्राप्त होता है और उसकी भी पालना जब कार्यपालिका के अधिकारी नहीं करते हैं तो पीड़ित पक्ष की व्यथा का कोई आंकलन नहीं किया जा सकता। हमारे देश की न्यायापालिका के समक्ष लंबित तीन करोड़ से अधिक मुकदमों में से अस्सी प्रतिशत मुकदमे सरकार के विरुद्ध है जिसका सीधा सा अर्थ है कि वह मुकदमें हमारी कार्यपालिका के विरुद्ध है ओर जनता का ही पैसा जनता के ही विरुद्ध बेरहमी से खर्च किया जाता है जिसमें सरकारी अधिकारी जिम्मेदार नहीं ठहराये जाते और वह पीड़ित पक्ष को परास्त करने के लिए एक व्यक्तिगत युद्ध का सा संचालन करने लग जाते है। इस तरह कार्यपालिका के इन अधिकारीयों को न तो कानून का डर है और न ही न्यायापालिका के आदेशों का। ये अधिकारी केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते है और उनसे भयभीत भी रहते है क्योंकि उस कोर्ट के आदेश की फिर कहीं अपील नहीं है यह स्थिति बहुत चिंताजनक है और राष्ट्र के समक्ष यह गंभीर समस्या है।

जब कभी न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा के वाद न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन्हें कानून के मुताबिक न्यायालय की अवज्ञा के अपराध में जेल तक की सजा हो सकती है किंतु न्यायालय इन अधिकारीयों को दण्डित करने से परहेज करता है और यदा कदा उन अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित होकर केवल क्षमा के लिये तो बाध्य किया जाता है किन्तु दण्डित नहीं किया जाता और यहीं वजह है कि कार्यपालिकाओं को न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा का कोई भय नहीं है। एक तरफ राजकीय कोष का ये अधिकारी दुरूपयोग करते है दूसरी तरफ कानून व न्याय के प्रति लोगों के विश्वास को क्षति पहुचाते हैं तथा लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य करते है। इतने गंभीर मसले पर भी हमारी कार्यपालिका एवं न्यायापालिका दोनों ही मूक दर्शक बनी हुई है और वह इसमें किसी प्रकार का सुधार करने के लिए तैयार नहीं। कुछ वर्ष पूर्व बिहार उच्च न्यायालय में न्यायालय अवमानना के करीब 2100 आदेशों की पालना न कराने तथा यह कहने पर कि वो इन आदेशों की पालना नहीं करा सकते उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को हिरासत में लेने का आदेश तक देना पड़ा और इसी तरह राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव के वेतन को रोकने के आदेश प्रदान करने पड़े और तत्कालीन यूपी के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश न मानने पर माफी के लिए बाध्य किया गया जबकि यूपी की मुख्यमंत्री मायावती के कहने पर स्मारकों का निर्माण नहीं रोका गया काश उन्हें सख्त दण्ड दिया होता तो निश्चय ही न्यायापालिका के आदेशों की अवहेलना पर अंकुश लग पाता और अन्य अधिकारीयों को भी भविष्य के लिए सबक मिलता।

कानून मानना ही होगा

'अगर आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे, तो आपको कानून का पालन करना ही होगा। अन्यथा आपको सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी' सीजेआई

वकील को भी लगाई फटकार

जस्टिस खेहर को उस वक्त और भी गुस्सा आ गया, जब खोसला के वकील दो घंटे से निगरानी कमेटी के समक्ष दलीलें दे रहे थे। वह भी तब जब कोर्ट का आदेश न मानने के सभी साक्ष्य खोसला के खिलाफ जाते हैं। शीर्ष कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा लगता है कि खोसला को अब जेल भेजना ही पड़ेगा। इसके बाद खोसला के वकील ने माफी मांग ली।

''सत्यमेव जयते''

न्यायालय भी अवज्ञा मामलों पर गंभीर नहीं

अवज्ञा के दोषी अधिकारियों का बढ़ेगा मनोबल

जवाहर लाल नेहरू रोड पर स्थित नेशनल हाउसिंग कॉपरेटिव सोसायटी की योजना संख्या 4 की भूखण्ड धारक श्रीमती विमला शाह को समिति द्वारा वर्ष 1995 में 500 वर्गगज का भूखण्ड आवंटित किया था और उसका विधिवत मौके पर कब्जा भी था किन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2010 में संदर्भित भूखण्ड पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया तो श्रीमती विमला देवी ने उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का हवाला देते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण को कम रोकने का नोटिस दिया। नोटिस के पश्चात भी जयपुर विकास प्राधिकरण ने पीड़िता के भूखण्ड पर सड़क निर्माण कर दिया और पीड़िता भूखण्डविहीन हो गई।

पीड़िता ने विधिवत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका जुलाई 2010 में दायर की और काफी प्रयास के बाद आरोपियों को उच्च न्यायालय का नोटिस तामील कराने में कामयाब हुई। दिनांक 19.01.17 को न्यायालय ने उक्त अवमानना याचिका बिना किसी कारण बताये खारिज कर दी।

न्यायालय आदेशों की अवज्ञा का यह पहला प्रकरण नहीं है जहां अवमानना के मामले में कार्यवाही नहीं हुई हो फिर भी देश के कानून के अनुसार पीड़ित पक्ष के द्वारा जब न्यायालय आदेशों की पालना नहीं होती है तो अवमानना को लेकर अवमानना करने वाले अधिकारियों को दंडित करने हेतु कानूनी प्रावधानों के तहत याचिका दायर करनी ही पड़ती है। किन्तु जब यह याचिकाएं बिना किसी कारण के खारिज होती हैं तो उनकी पीड़ा अत्सहनीय हो जाती है क्योंकि इस देश के आम नागरिकों का भरोसा आज केवल न्यायपालिका से ही बचा है। संदर्भित भूमि जिसमें प्राधिकरण ने न केवल सड़क का निर्माण किया है बल्कि बिना किसी स्वामित्व के कई संस्थाओं को भूखण्ड भी आवंटित कर दिये हैं।

इस भूमि पर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के आदेश भी प्रभावी थे किन्तु उन आदेशों का कोई सम्मान नहीं हुआ।

देशवासी चिन्तन करें

1. क्या वास्तव में कश्मीर देश का अभिन्न अंग है ?
2. यदि है तो पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं ?
3. कश्मीर में सरेआम आईएसआईएस के झण्डे क्यों फहराने दिये जाते हैं ?
4. सेना पर पत्थर फैंकने वालों के साथ इतनी हमदर्दी क्यों ?
5. क्या सेना देश के नागरिकों के साथ युद्ध करने के लिए है ?
6. सेना को भीड़ नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए ?
7. 5 लाख कश्मीरी पंडितों को हत्या, बलात्कार की ताकत के दम पर भगा दिया ?
8. क्या उन्हें तम्बुओं में रहने को विवश करना सही है ?
9. क्या उनके स्थाई आवास की व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिए ?
10. देश के नेता, मानवाधिकारवादी इनके मामले में चुप क्यों हैं ?
11. क्या देश की न्यायपालिका को कभी इनका दर्द महसूस नहीं हो रहा ?
12. कश्मीरी पंडितों के मामले में देश के मुसलमान नेता क्यों हैं मौन ?
13. अगर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो धारा 370 क्यों लागू है ?
14. कश्मीर में देश का नागरिक जमीन क्यों नहीं खरीद सकता ?
15. सुरक्षा बलों के स्थाई आवास का विरोध सही है ?
16. अलगाववादियों एवं आतंकवादियों का कैसा हीलिंग टच ?
17. पत्थरबाजों एवं देश के सैनिकों पर हमला करने वालों पर नरमी क्यों ?
18. विदेशी कश्मीर में शादी करें तो नागरिकता किन्तु भारतीय करे तो नहीं ?

क्या अब भी आपको लगता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ?

''सत्यमेव जयते''

जी हाँ ! हम ठगते हैं और ठगने का लाइसेंस देते हैं!

नागरिकों को सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा देना तथा रोजगार उपलब्ध करवाना कल्याणकारी सरकार का संवैधानिक धर्म है। अत: शैक्षणिक गतिविधियों से कोई वसूली करना स्पष्टत: संविधान विरुद्ध है। किन्तु स्वयं शिक्षा जगत का क्या हाल है और सरकार इसकी किस तरह दुर्गति कर रही है इसका शायद आम नागरिक को कोई अनुमान नहीं है। उदारीकरण, जो कि संविधान की समाजवाद की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है, का लाभ धनपतियों और कुबेरों को मुक्त हस्त दिया जा रहा है।

शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक बी. एड. पाठ्यक्रम और निजी संस्थानों की भागीदारी इस दुर्भि संधि को प्रकट करती है। उदारीकरण से पूर्व इस पाठ्यक्रम का संचालन मुख्यत: राज्य क्षेत्र में ही था और वांछित शिक्षकों की पूर्ति सामान्य रूप से हो रही थी। राजस्थान राज्य में राज्य एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर वर्ष भर में समान्यत: 20 हजार अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है। किन्तु सरकार ने लगभग एक लाख अभ्यर्थियों के लिए बी एड के पद सृजित कर दिये हैं। ऐसी स्थिति में काफी व्यय भार उठाकर यह बेरोजगारों की एक फ़ौज प्रतिवर्ष तैयार हो रही है जो अपना समय और धन लगाकर भी निश्चित रूप से आखिर बेरोजगार ही रहनी है।

बी एड पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सरकार इस कोढ़ में खाज और कर दी है। बी एड के अभ्यर्थी से इस विद्यमान एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए पचीस हजार रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाता था जो की पूर्व में मात्र दस हजार रुपये था। अब बी एड पाठ्यक्रम को 2 वर्षीय किया है और शुल्क में भी बेतहाशा वृद्धि की गई। किन्तु इससे सरकार और 600 संचालकों को फायदा है इसलिए इस सुनियोजित ढंग से लूट के व्यवसाय को चालू रखा जा रहा है। पहले एक बी एड महाविद्यालय से मान्यता के नाम पर दस लाख रूपये से अधिक शुल्क सरकार और विश्वविद्यालयों द्वारा लिया जाता था और अब दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए सरकार द्वारा सोलह लाख रूपये और अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। निश्चित रूपसे इतनी राशि का सरकार को भुगतान करके इस निवेश पर कोई भी व्यक्ति अच्छा मुनाफा कमाना चाहेगा। सेवा के नाम पर कोई भी इतना बड़ा निवेश नहीं करना चाहेगा। इस आकर्षक व्यवसाय के कारण कई संचालकों ने तो अपने विद्यालय बंद करके महाविद्यालय प्रारम्भ कर दिए हैं।

विश्वविद्यालय और बोर्ड भी प्रायोगिक परीक्षा शुल्क का मद महाविद्यालयों और विद्यालयों के लिए खुला छोड़ देते हैं ताकि वे मनमानी वसूली कर सकें और प्रायोगिक परीक्षा के वीक्षक का स्वागत सत्कार कर सकें जो कि फलदायी होती है। बोर्ड और विश्विद्यालयों को चाहिए कि वे प्रायोगिक परीक्षा हेतु शुल्क भी नियमित परीक्षा के साथ ही वसूल कर लें और परीक्षा केंद्र को प्रतिपूर्ति अपने स्तर पर ही करें न की महाविद्यालयों और विद्यालयों को इसके लिए खुला छोड़ें। महाविद्यालयों को यह भी निर्देश दिया जाना परम आवश्यक है की वे ड्रेस या अन्य किसी सामग्री का विक्रय नहीं करें और छात्रों से कोई वसूली सरकार से अनुमोदन के बिना नहीं करें।

आश्चर्य होता है कि सरकार को महाविद्यालय और विद्यालय संचालकों की तो चिंता है और उनके द्वारा वसूली जाने वाले शुल्क तय कर दिया है किन्तु उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के मानक और सम्बद्ध बातों को न तो तय किया जाता, न उनकी निगरानी और न ही नियमन है। और तो और इन महाविद्यालयों व विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के हितों का कोई नियमन नहीं किया जता और वे सभी पसीना बहाने वाले शोषण का शिकार होते हैं। उन्हें नियमानुसार अवकाश, भविष्यनिधि और अन्य कोई परिलाभ तक नहीं दिया जता है। कई मामलों में तो उन्हें दिया जाने वाला वेतन न्यूनतम मजदूरी से भी कम होता है। सरकार इस कुतर्क का सहारा ले सकती है कि जिसे करना हो वह बी एड करे या यह नौकरी वह किसी को विवश नहीं कर रही है। किन्तु जनता को इस बात का ज्ञान थोड़ा है कि बी एड के बाद भी रोजगार दुर्लभ है। कीट पतंगे युगों युगों और पीढ़ियों से आग में जलकर मर रहे हैं- उन्हें आजतक ज्ञान नहीं हुआ है और यह सिलिसिला आज तक नहीं थमा है। नागरिकों के हितों की हर संभव रक्षा करना और मार्गदर्शन सरकार का दायित्व है, फिर यही बात सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों के सन्दर्भ में क्यों नहीं करती जिससे प्रतिस्पर्द्धी वातावरण में जनता को सस्ती चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

आधारभूत संरचना के नाम पर इन बी एड कोलेजों के पास मात्र कागजी खानापूर्ति है और छात्रों से महाविद्यालय संचालक प्रायोगिक परिक्षा और अन्य खर्चों के नाम पर अतिरिक्त अवैध वसूली भी कर रहे हैं। छात्रों को महाविद्यालय न आने की भी सुविधा भी अतिरिक्त अवैध शुल्क से दे दी जाती है। अर्थात बी एड शिक्षण एक औपचारिक पाठ्यक्रम है। जिस तकनीक एवं विधि से बी एड में पढ़ाना सिखाया जता है वह भी व्यवहारिक रूप से कोई उपयोगी नहीं है। अन्य राज्यों की स्थिति भी लगभग राजस्थान के समान ही है। निष्कर्ष यही है कि कल्याणकारी सरकार के नाम पर सरकारें लूटेरे संगठनों द्वारा संचालित हैं और वे लूट का लाइसेंस दे रही हैं। अब जनता सावधान रहे। शायद आने वाले 20-30 वर्षों में आम नागरिक का पूर्ण रक्तपान हो जाएगा तथा गरीब बचेंगे ही नहीं व संपन्न तथा सत्ता के दलाल और अधिक संपन्न हो जायेंगे।

विनय ना मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई ना प्रीती.

इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में। तुमको लग जाएँगी सदियाँ हमें भुलाने में।

-गोपाल दास नीरज

यदि हम चाहें तो लम्बित मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सकता है

1. झूठे शपथ पत्र पर सजा का प्रावधान सख्ती से लागू हो।
2. न्यायालय आदेशों की अवज्ञा में दण्डित किया जाए, न कि समझाइश। क्योंकि इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है जिसके पक्ष में आदेश पारित हुआ है।
3. कानूनी प्रक्रिया (Due Process) को परिभाषित किया जाए।
4. प्रसंज्ञान स्तर पर मुकदमों की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि 80 प्रतिशत मामले तो प्रसंज्ञान स्तर पर ही निपट सकते हैं।
5. न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) वास्तव में न्यायिक अधिकारी के अधीन होनी चाहिए, न कि सजायाफ्ता अपराधियों के साथ जेल में।
6. न्यायिक आदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए इसके नाम के दुरूपयोग पर दंड का प्रावधान हो।
7. सतर्कता विभागों का स्वतंत्र अस्तित्व हो क्योंकि कई बार जिस अधिकारी के विरूद्ध कोई शिकायत लंबित होती है वही अधिकारी सतर्कता विभाग में नियुक्ति पा जाता है ऐसी स्थिति में कैसे लागू हो सकता है दण्ड का विधान।
8. मुकदमों के निर्णय के साथ ही संबंधित पक्ष को दिया जा सकने वाला अर्जा-खर्चा स्पष्ट हो जिससे एक और मुकदमा हर्जा वसूली का ना हो।
9. स्वीकार्य तथ्यों पर साक्ष्य आदि में अनावश्यक विलम्ब से बचा जाए।
10. दीवानी मामलों में प्रश्नावली (इंट्रोगेटरीज) को बढ़ावा दिया जावे।
11. झूठे मुकदमे दायर करने वालों व न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने वालों को दण्डित किया जावे।

क्या हम पुलिस व्यवस्था में सुधार चाहते हैं?

1. जांच एजेंसियां पूर्णतया स्वतंत्र होनी चाहिए जैसे न्यायपालिका या चुनाव आयोग।
2. जांच अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता एल.एल.बी. होनी चाहिए।
3. गिरफ्तारी से पूर्व सबूत जुटाने चाहिए।
4. चार्जशीट फाइल करने से पहले मुख्य गवाहों के बयान सशपथ न्यायालय में होने चाहिए।
5. झूठे शपथ पत्र एवं झूठे मुकदमे दर्ज करने वालों पर धारा 181 के तहत उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
6. जांच अधिकारी की जवाबदेही होनी चाहिए।
7. चार्जशीट से पहले उभय पक्षों के मध्य उच्च स्तर पर बहस होनी चाहिए।
8. गलत गिरफ्तारी तथा न्यायिक अभिरक्षा में रखने का मुआवजा/दण्ड निर्णय में ही सुनाया जाना चाहिए और उसकी वसूली जांच अधिकारी से की जानी चाहिए।
9. साधारण मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए तथा उचित मुचलकों पर अभियुक्त को बेल मिलनी चाहिए।
10. न्यायिक अभिरक्षा न्यायिक संरक्षण में होनी चाहिए न की जेल अधिकारियों के।
12. पुलिस का जांचतंत्र एवं सतर्कता दोनों अलग होने चाहिए।

देशवासी गंभीरता से विचार कर आत्मचिंतन करें

1. *क्या हम वास्तव में आजाद हैं?*
2. *क्या देश में कानून का शासन है?*
3. *अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक कैसे होगा तय?*
4. *आखिर यह धर्मनिरपेक्षता क्या है? इस राष्ट्र में साम्प्रदायिक कौन है?*
5. *क्या देश को धर्म, जाति, सम्प्रदाय व भाषा के नाम पर बांटा जाना गंभीर विषय नहीं है? और यह राष्ट्र के लिए कितना घातक होगा इसकी कल्पना की जा रही है?*
6. *धनवान और धनवान, क्रीमीलेयर को आरक्षण क्या इससे राष्ट्र सम्पन्न मान लिया जावे?*
7. *कब तक हम लोकसेवकों को वीआईपी और अपने आपको याचक (भिखारी) समझते रहेंगे?*
8. *क्यों नहीं होना चाहिए सबके लिए समान कानून?*
9. *कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित होने पर क्यों है सम्पूर्ण राष्ट्र मौन?*
10. *देश के मुसलमान कश्मीर में धारा 37 का क्यों कर रहे हैं समर्थन?*
11. *आतंकवादियों को पनाह देने वाले कैसे माने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्ष?*
12. *जेलें क्यों बन रही हैं अपराध ट्रेनिंग सेंटर?*
13. *क्यों वर्षों वर्षों तक न्याय के लिए हम भटकने को मजबूर हैं? क्यों न हो न्यायपालिका इसके लिए जवाबदेह?*
14. *भ्रष्टाचार एवम् घोटालों के विरुद्ध क्यों नहीं उठ रही आवाज?*
15. *संसाधनों के अभाव का तर्क देकर कब तक आम नागरिकों के मानवाधिकारों का होता रहेगा हनन? इन पर कीजिए मनन। क्या उपरोक्त प्रश्न हमें यह अहसास कराते हैं कि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं?*

सत्यमेव जयते

सच उगवलवाने के लिए घोटालेबाजों व भ्रष्टाचारियोंका क्योंन हो नारको एनलिसिस टेस्ट

मुम्बई हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि संदिग्धों के नार्को टेस्ट के लिए किसी की भी रजामंदी की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि ''थर्ड डिग्री'' से बेहतर जांच विधि काम में ली जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक विधियां नहीं स्वीकारी गईं तो जांच एजेंसियां क्रूर तरीके जारी रखेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया कि यदि समाज ने नार्को एनालिसिस जैसी वैज्ञानिक जांच विधियों को मान्यता नहीं दी तो जांच एजेंसियां 'थर्ड डिग्री' और एनकाउंटर का प्रयोग जारी रखेंगी।

चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जस्टिस आरवी रवीन्द्रन और जे.एम. पांचाल की बेंच ने ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर व नार्को एनालिसिस जैसी जांच विधियों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। अदालत के मुताबिक बढ़ते आतंकवाद व अपराध से निपटने के लिए नई विधियों का विकास जरूरी है। अभियुक्त की पिटाई या मुठभेड़ के नाम पर हत्या जैसे हथकंडों के बजाय डीएनए टेस्ट या नार्को एनालिसिस जैसी विधियां जांचकर्ताओं के हाथों अभियुक्त को शारीरिक चोट पहुंचाने की आशंका दूर कर देती हैं।

स्टाम्प घोटाले के मास्टर माइंट अब्दुल करीम तेलगी को देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया गया था और घोटाले में राजनेताओं के अलावा पुलिस अधिकारी भी लिफ्त पाए गए थे। इस घोटाले की जांच के दौरान तेलगी ने बड़े-बड़े सच उगले किन्तु आज तक देशवासियों के सामने कुछ भी तथ्य नहीं पेश किये गये। देश में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए और हो रहे हैं।

काश हमारे देश में कानून का शासन होता? यदि होता तो इस घोटाले में लिप्त राजनेताओं व पुलिस अधिकारियों का भी नारको एनलिसिस टेस्ट किया जाना चाहिए था। इससे यह पता लग जाता कि इस घोटाले से प्राप्त राशि इन नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने कहां-कहां जमा करा रखी है। काश: हमारी न्यायपालिका ही यह पहल करती। यदि इस तरह के टेस्ट शुरू हो जाते तो लालू यादव के करोड़ों रुपयों का भण्डाफोड़ हो जाता और वो आय से अधिक सम्पत्ति के मुकदमें में बरी नहीं किए जा सकते थे। मायावती के टेस्ट से अरबों रुपयों का खुलासा होता और कल्याण सिंह के आरोप की सच्चाई कि मायावति ने अपने रुपए स्विस बैंक में जमा करा रखा है उसका भी भण्डाफोड़ हो जाता।

मुलायम सिंह, बादल, चोटाला, सुखराम, सतीश शर्मा से शुरूआत होकर सभी करोड़पतियों सांसदों का भी यही टेस्ट किया जाता तो यह देश-विदेशी कर्ज से मुक्त हो सकता था किन्तु हमारे राष्ट्र में घोटाले व भ्रष्टाचार अपराध माना ही नहीं जाता और कानून बनाने वालों के लिए कानून कहां होता है? इस देश के नागरिक यह भ्रम पाले हुए है कि इस देश में कानून का शासन है और कानून क सामने सभी बराबर है। हमारे देश में छोटे अपराध करने वाले को दण्डित किया जाता है किन्तु बड़े आरोपियों को तो छूआ तक नहीं जाता। फूलन देवी ने सैंकड़ों को कत्लेआम किया और वह सांसद बनी शहाबुद्दीन,

(शेष पृष्ठ नौ पर)

सत्यमेव जयते

भारतीय राजनीतिक उद्योग

भारत में 4120 एमएलए और 462 एमएलसी हैं अर्थात् कुल 4582 विधायक। प्रति विधायक वेतन भत्ता मिला कर प्रति माह 2 लाख का खर्च होता है। अर्थात् 91 करोड़ 64 लाख रुपया प्रति माह। इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभग 1100 करोड़ रुपये।

भारत में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 776 सांसद हैं। इन सांसदों को वेतन भत्ता मिला कर प्रति माह 5 लाख दिया जाता है। अर्थात् कुल सांसदों का वेतन प्रति माह 38 करोड़ 80 लाख है। और हर वर्ष इन सांसदों को 465 करोड़ 60 लाख रुपया वेतन भत्ता में दिया जाता है।

अर्थात् भारत के विधायकों और सांसदों के पीछे भारत का प्रति वर्ष 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होता है।

ये तो सिर्फ इनके मूल वेतन की बात हुई। इनके आवास, रहने-खाने, यात्रा भत्ता, इलाज, विदेशी सैर-सपाटा आदि का खर्च भी लगभग इतना ही है। अर्थात् लगभग 30 अरब रुपये खर्च होता है इन विधायकों और सांसदों पर।

अब गौर कीजिए इनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों के वेतन पर। एक विधायक को दो बॉडी गार्ड और एक सेक्शन हाउस गार्ड यानी कम से कम 5 पुलिसकर्मी यानी कुल 7 पुलिसकर्मी की सुरक्षा मिलती है। 7 पुलिस का वेतन लगभग (25,000 रुपये प्रति माह की दर से) 1 लाख 75 हजार रुपए होता है। इस हिसाब से 4582 विधायकों की सुरक्षा का सालाना खर्च 9 अरब 62 करोड़ 22 लाख प्रतिवर्ष है।

इसी प्रकार सांसदों की सुरक्षा पर प्रति वर्ष 164 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नेता, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगभग 16000 जवान अलग से तैनात हैं। जिन पर सालाना कुल खर्च लगभग 776 करोड़ रुपया बैठता है। इस प्रकार सत्ताधीन नेताओं की सुरक्षा पर हर वर्ष लगभग 20 अरब रुपए खर्च होते हैं।

अर्थात् हर वर्ष नेताओं पर कम से कम 50 अरब रुपये खर्च होते हैं। इन खर्चों में राज्यपाल, भूतपूर्व नेताओं के पेंशन, पार्टी के नेता, पार्टी अध्यक्ष, उनकी सुरक्षा आदि का खर्च शामिल नहीं है। यदि उसे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्च लगभग 100 अरब हो जायेगा।

अब सोचिये हम प्रति वर्ष नेताओं पर 100 अरब रुपये से भी अधिक खर्च करते हैं, बदले में गरीब लोगों को क्या मिलता है?

इसके अलावा सांसद व विधायकों में 70 प्रतिशत करोड़पति हैं और 542 सांसदों में से 105 तथा 4032 विधायकों में से 210 विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड है।

भारतीय लोकतंत्र में अपराधी इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। पार्टियां उन्हें नहीं चुनतीं, बल्कि वे चुनते हैं कि उन्हें किस पार्टी से लड़ना है। कभी राजनीति के धुरंधर अपराधियों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे, अब उन्होंने खुद ही कमान संभाल ली है।

हाल ही, एडीआर के द्वारा 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले देशभर के 1675 सांसद और विधायकों का विश्लेषण किया गया है। एडीआर ने देशभर के कुल 4896 में से 4852 सांसद और विधायकों के चुनाव हलफनामों के आधार पर आकलन किया है। इनमें से 1581 सांसद और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं जिनमें से 993 के खिलाफ गंभीर श्रेणी के मामले हैं। राजस्थान में भी 37 सांसद और विधायकों का आपराधिक बैकग्राउण्ड है जिनमें से 20 के खिलाफ गंभीर श्रेणी के मामले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, 243 नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले लम्बित हैं जिनमें से 107 गंभीर प्रकृति के हैं। हर पार्टी में दागियों की भरमार है। केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा दागी नेता हैं। एडीआर ने भाजपा के 1675 सांसद व विधायकों का अध्ययन किया है जिसमें से 523 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस में 26 फीसदी नेता दागदार हैं तो आम आदमी पार्टी के भी 29 फीसदी नेता आपराधिक छवि के हैं। एडीआर के विश्लेषण के अनुसार लोकसभा के 534 में से 34 प्रतिशत अर्थात् 184 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा राजसभा के 231 में से 19 प्रतिशत यानी 44 सांसद ऐसे हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है।

लोकसभा के 84 प्रतिशत, राज्यसभा के 82 प्रतिशत और विधानसभाओं के 69 प्रतिशत नेता करोड़पति हैं। राजस्थान के भी 71 प्रतिशत यानि 142 नेता करोड़पति हैं। देश में गोवा विधानसभा ऐसी है जहां सारे नेता करोड़पति हैं। इसके बाद कर्नाटक का नम्बर आता है। महाराष्ट्र में 88 प्रतिशत की संपत्ति एक करोड़ रुपए से ज्यादा है।

क्या है नारको एनलिसिस टेस्ट

नारको एनलिसिस सच्चाई उगलवाने के लिए एक तरह का मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसके जरिए आरोपी जिन बातों को छिपाना जाता है वे निकलकर सामने आ जाती हैं। नारको एनलिसिस कोई नई चीज नहीं है, इसकी शुरूआत 1922 में डलास (अमरीका) के जेल में हुई थी, लेकिन इसे अब तर अदालत में स्वीकाय सबूत नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाली दवाओं के प्रभाव में आरोपी अपनी दबी कल्पनाओं को भी सच्चाई में सामिल कर देता है। बावजूद इसके नारको एनलिसिस को कानून में जांच के हिस्से के तौर पर मान्यता प्राप्त है क्योंकि इस प्रयोग से काफी हद तक आरोपी से सच उगलवाया जा सकता है और उसका झूठ पकड़ा जा सकता है, साथ ही उसे शारीरिक क्षति भी नहीं पहुंचती। वैसे अब सत्य तक पहुंचने के लिए पॉलीग्राफ टैस्ट और ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग/मैपिंग भी किए जाते हैं।

नारको यूनानी भाषा के नारके शब्द से बना है जिसका अर्थ है चेतनाशून्य। इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक उपचार और तफ्तीश करने की तकनीक के तौर पर किया जाता है। इस तकनीक के तहत व्यक्ति को बार्बीट्यूरेट्स ड्रग्स या टुथ सीरम दे दिया जाता है जिससे वह चेतनाशून्य की अवस्था में आ जाता है।

टुथ सीरम का असर उस पर दौरान उसे इस बात पर नियंत्रण पर नहीं रहता कि वह क्या कह रहा है, नतीजतन सच और जिन बातों को वह राज रखना चाहता है वह सामने आने लगती है। जिस शख्स का नारको एनलिसिस हो रहा होता है उसे जब टुथ सीरम दे दिया जाता है, तो उसमें फैसला लेने और चालाकी करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। लातिन भाषा में एक कहावत है 'इन वीनो वेरीटस' जिसका अर्थ है 'शराब में सच'। अमरीका के वैज्ञानिक लॉरेस फारवेल ने ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को विकसित किया था। यह ईईजी/पी 300 आधारित टैक्नोलॉजी यह तय करती है कि कोई खास जानकारी व्यक्ति की याददाश्त में जमा है या नहीं? यह परीक्षण व्यक्ति के दिमाग की तरंगों को प्रासंगिक शब्दों, तस्वीरों या ध्वनियों की प्रतिक्रियाओं के तौर पर पामता है। प्रासंगिक शब्द, तस्वीरें या ध्वनियां कम्प्यूटर के जरिए प्रस्तुत की जाती है। गौरतलब है कि हमारा दिमाग घटनाओं को यादों के तौर पर स्टोर करता है।

इस तकनीक में दिमाग की इस क्रिया को अपराधी और मासूम व्यक्ति के दिमागों में फर्क करने के लिए किया जाता है। अपराधी का दिमाग मौका-ए-वारदात पर हुई घटनाओं को क्रमवार स्टोर कर लेता है जबकि मासूम व्यक्ति के दिमाग में ऐसी कोई यादें नहीं होंगी।

ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग तकनीक में वैज्ञानिक आधार पर यह मालूम किया जाता है कि विशेष किस्म की यादें दिमांग में है या नहीं। कम्प्यूटर के जरिए आरोपी के समक्ष अपराध से संबंधित शब्द, तस्वीरें, कोड और ध्वनियां प्रस्तुत की जाती है। प्रेरकों पर दिमाग तरंगों की प्रतिक्रियाएं ईईजी सेंसरयुक्त हैडबैंड के जरिए मापी जाती हैं। इस तरह जो डाटा उपलब्ध होता है उससे यह समीक्षा की जाती है कि संबंधित जानकारी याददाश्त में मौजूद है या नहीं।

''सत्यमेव जयते''

लालू प्रसाद यादव एक धर्म निरपेक्ष नेता ?

लालू प्रसाद यादव तथा उनके कुनबे ने सेक्यूलरवाद तथा सामाजिक न्याय के नाम पर कितनी धांधली मचाई है। बाप, मां, दो बेटे, बेटी सब बहती गंगा में खूब नहाते रहे। कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता था क्योंकि हम तो 'सैक्यूलर फोरसिस' के ध्वजारोही हैं? परिवार के छह सदस्यों पर अरबों रुपए की बेनामी जायदाद इकट्ठा करने का आरोप है। रेल मंत्री रहते एक निजी कंपनी को रेल होटल चलाने का ठेका देने की एवज में पटना में तीन एकड़ का प्लाट ले लिया गया जहां बिहार की सबसे बड़ी मॉल बन रही है। यह तो एक मामला है।

बेनामी जायदाद, फर्जी कंपनियां, अरबों का अवैध लेन-देन। लालू यादव तथा उपमुख्यमंत्री पुत्र तेजस्वी पर तो बाकायदा भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। पर इनका जवाब क्या है? यह राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। सीबीआई जो आरोप लगा रही है और अखबारों में जो छप रहा है उसका जवाब लालू जी यह दे रहे हैं कि "मैं भाजपा को देश से उखाड़ दूंगा।"

क्या भाजपा विरोध हर खून की माफी है? गरीब और पिछड़े बिहार के साधनों को यह लालची परिवार लूटता रहा। जरा भी शर्म नहीं आई। सब माफ है क्योंकि वह बड़े सैक्यूलर नेता हैं? पर आप आरोपों का जवाब तो दो?

पहले ही 9 करोड़ रुपए के चारा घोटाला के लालू प्रमुख आरोपी हैं। भ्रष्टाचार के मामले के कारण वह किसी पद पर नहीं रह सकते। इस मामले को लेकर 1997 में मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद यह कुख्यात आदमी भाजपा विरोधी ताकतों की धुरी बना हुआ है और हिमाकत यह है कि अपने 'दो अनमोल रत्न' जो हाई स्कूल भी पास नहीं कर सके, तेजस्वी तथा तेजप्रताप, को मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री तथा तीसरे नम्बर का मंत्री बनवा दिया। सारे बिहार में इन दो अनपढ़ लड़कों के सिवाय उन्हें और युवा नहीं मिले जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता था? लेकिन ऐसे लालू जी हैं। परिवार के बाहर कुछ नजर नहीं आता। जब खुद को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था तो पत्नी राबड़ी देवी को रसोई से निकाल कर मुख्यमंत्री बनवा दिया। जब उन्हें शपथ ग्रहण के लिए ले जाया जा रहा था तो वह सरल महिला पूछ रही थी कि मुझे करना क्या है? अब बेटी को सांसद बनवा दिया। क्या यह इनका 'सामाजिक न्याय' है?

लेकिन अब राबड़ी देवी पर सुशील मोदी का आरोप है कि उनके पास 18 फ्लैट हैं। अर्थात् ढेरों बेनामी जायदाद है। बेटी मीसा तथा दामाद शैलेश ने फर्जी कंपनियों के पैसे से दिल्ली में फार्म हाऊस खरीदे हैं। सवाल यह भी है कि 'सैक्यूलर ताकतों' के दामादों की जायदाद में इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है?

और दुख की बात है कि लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति की पैदाइश है। 29 वर्ष की आयु में वह सबसे कम उम्र के सांसद थे। वह देश के लिए ईमानदारी की मिसाल बन सकते थे लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश में गुण्डाराज, जाति पर आधारित राजनीति तथा भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। अर्थात् सक्रिय राजनीति में आते ही सारे आदर्श गुल हो गए और यह परिवार देश में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। मीसा भारती तथा उनके पति शैलेश पर 8 करोड़ रुपए का कालाधन सफेद करने का आरोप है। कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आयकर विभाग ने भी उनकी दर्जन भर जायदादें जब्त की हैं।

लालू जी कहते हैं उनकी लड़ाई साम्प्रदायिक शक्तियों से है और वो उन्हें अगले चुनाव में उखाड़ फैंकेंगे। अरबों रुपयों के कालेधन के मालिक और समाजवादी? और धर्म निरपेक्ष भी?

''सत्यमेव जयते''

धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता वंदे मातरम की अनिवार्यता पर संग्राम

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को तमिलनाडु के स्कूल में अनिवार्य करने के हाई कोर्ट के फैसले पर इस राज्य में भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हो, पर तमिलनाडु के बाहर महाराष्ट्र में एक वर्ग ने तीखा विरोध जताया है। इससे पहले भी वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय के एक तबके और सियासी दलों ने रोष जताया है। खासतौर पर ऑल इंडिया मजलिसे-इत्तेहादुल मुसलमीन ने कहा है कि वह किसी भी सूरत में वंदे मातरम को गाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह इस्लामी उसूल के खिलाफ है। भाजपा-शिवसेना को छोड़ दूसरे दलों ने भी वंदे मातरम की अनिवार्यता पर सवाल उठाया है।

बहरहाल मद्रास हाई कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भाजपा के एक विधायक ने इसे राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में लागू करने की मांग की है, जबकि कुछ अन्य दलों के विधायकों ने ऐसे किसी कदम का विरोध किया है। मुम्बई से ऑल इंडिया मजलिसे-इत्तेहादुल मुसलमालीन के विधायक वारिस पठान ने कहा कि अगर कोई उनके सिर पर रिवॉल्वर भी रख दे, तो भी वे राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने भी कहा कि अगर उन्हें देश से बाहर भी फैंक दिया जाए, तो भी वे इसे नहीं गाएंगे।

ये प्रतिक्रियाएं दरअसल भाजपा के वरिष्ठ विधायक राज पुरोहित की एक मांग के बाद आई हैं। पुरोहित ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 'वंदे मातरम' को महाराष्ट्र के हर स्कूल और कॉलेज में गाना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए तमिलनाडु के स्कूलों में राष्ट्रगीत को सप्ताह में कम से कम दो बार गाना अनिवार्य बना दिया था। यहां विधानभवन के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए विधानसभा में भाजपा के प्रमुख सचेतक पुरोहित ने कहा कि वे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और किसी समारोह में राष्ट्र गीत को गाना अनिवार्य बनाने के लिए उसके हस्तक्षेप की मांग करेंगे।

पुरोहित ने कहा, 'मैं सदन में भी यह मांग उठाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि सरकार को ऐसी नीति लाना चाहिए, जो किसी समारोह की शुरूआत में 'वंदे मातरम' गाने और अंत 'जन गण मन' गाना अनिवार्य बनाती हो।'

दक्षिण मुम्बई के भायखला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पठान ने पुरोहित की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक विचारधारा विशेष के लोगों पर थोपा नहीं जा सकता उन्होंने कहा, 'मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा मेरा धर्म और कानून मुझे यह गाने की इजाजत नहीं देता। कोई मेरे सिर पर रिवॉल्वर भी रख दे, तो भी मैं यह नहीं गाऊंगा। मैं सदन में इस मांग का विरोध करूंगा। अबू आजमी ने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस के निर्देशों का पालन कर रही है, जिससे समाज ध्रुवीकरण का शिकार हो जाएगा।' उन्होंने कहा, 'मैं इस्लाम का सच्चा अनुयायी हूं। वंदे मातरम गाना मेरे धर्म और संविधान के खिलाफ होगा। एक सच्चा मुसलमान इसे कभी नहीं गाएगा। मुझे देश से बाहर भी फैंक दिया जाता है, तो भी मैं इसे नहीं गाऊंगा।'

इस बीच एआइएमआइएम और सपा की आलोचना करते हुए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने कहा कि वे लोग गद्दार हैं। उन्होंने कहा, उन्हें यह पता होना चाहिए कि वंदे मातरम एक देशभक्ति गीत है, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में गाया था। वहीं, हाई कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति या संगठन को इस गीत को गाने या बजाने में आपत्ति है, तो उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते उनके ऐसा न करने के पीछे वैध कारण हों।

''सत्यमेव जयते'' 'वंदेमातरम् नहीं गाना देशद्रोह नहीं'

मुम्बई। केन्द्रीय राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वंदेमातरम् नहीं गाने के बाधार पर किसी नागरिक को देशद्रोही नहीं करार दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि वंदेमातरम् गाना 'अपनी-अपनी पसंद की बात' है। जो लोग गाना चाहते हैं वे गा सकते हैं और जो गाना नहीं चाहते वे ना गाएं। इसे नहीं गाना किसी को देशद्रोही नहीं बनाता। उन्होंने कहा कि अगर कोई जानबूझकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखित राष्ट्र गीत का विरोध करता है तो यह गलत है और देश के हित में नहीं है।

क्या है सतर्कता विभागों की सार्थकता!

1. कल तक जो पुलिस अधिकारी थाने में भ्रष्ट पाया गया था और दण्ड स्वरूप उसका स्थानान्तरण सतकर्ता विभाग में कर दिया गया तो कभी उसे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में नियुक्त कर दिया जाता हो ?
2. क्या यह विडंबना नहीं है कि जिस न्यायिक अधिकारी को दण्ड स्वरूप न्यायालय से हटाकर सतर्कता विभाग में बैठा दिया जाता हो ?
3. क्या यह विडंबना नहीं है कि भ्रष्ट अधिकारियों की जांच भी भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा ही कराई जाती हो ?
4. क्या यह विडंबना नहीं है कि आज तक कभी किसी अधिकारी के गंभीर से गंभीर आरोप या अपराध पर उसे उसके इस सतर्कता तंत्र द्वारा सजा दिलाई गई हो ?
5. क्या किसी शिकायत कर्ता को उसकी शिकायत पर पूछताछ के लिए बुलाया गया हो और उसकी शिकायत पर सुनवाई हुई हो ?
6. क्या झूठी शिकायत करने वाले को कभी सजा दिलाई गई हो ?
7. क्या यह विडंबना नहीं है कि उच्चाधिकारियों की जांच उनके कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा करवाई जाती हो ?

अंग्रेजों के शासन में हम गुलाम थे तब तो इस व्यवस्था/प्रथा/परम्परा को उचित ठहराया जा सकता था किन्तु आजाद कहलाने वाले इस राष्ट्र के लिए क्या यह गंभीर प्रश्न नहीं है ?

सतर्कता विभागों को इन विभागों से पूर्णतः अलग रखने पर ही इनकी कोई उपयोगिता हो सकती है अन्यथा यह महज एक औपचारिकता बन कर रह गये हैं।

आपके इस विषय पर क्या विचार है उठाइये कलम और लिख भेजिए अपने सुझाव।

'कवच' विचार मंच
संयोजक
श्रीगोपाल शर्मा

''सत्यमेव जयते''

सुनंदा पुष्कर हत्याकांड की जांच में देरी पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर हत्याकांड जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है। न्यायमूर्ति जी.एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस ने फरवरी 2015 में इस मामले में सुबूत एकत्रित किए थे, फिर भी दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वह अब तक इस मामले में किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे जांच में हुई देरी के पहलू की तह तक पहुंचकर यह पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एक शख्स वर्ष 2014 में मर जाता है। पहले आप इस मामले को आत्महत्या बताते हो, फिर इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है।

हाई कोर्ट में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर कर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर उससे कराने की मांग की है। सुनंदा के बेटे शिव मेनन ने स्वामी की याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए उसे खारिज करने की मांग की थी। इस पर स्वामी की तरफ से कहा गया कि वह एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उन्हें किसी सस्ती पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है।

वह केवल पुलिस द्वारा मामले को रफा-दफा करने के प्रयास को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेनन की अपनी मां की हत्या के दोषी के बारे में जानकारी जुटाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उन्हें केवल अपनी मां के कनाडा के घर में दिलचस्पी है। वह इस बाबत सुबूत भी पेश कर सकते हैं। मेनन दुबई में ड्रग्स से जुड़े एक मामले में जेल भी जा चुके हैं। थरूर ने उन्हें इस मामले से बाहर निकलवाया था। वहीं, मेनन की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपनी मां से संबंधित मामले में किसी बाहरी शख्स को याचिका लगाने का अधिकार नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे नहीं लगता कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए लगाई गई है। यह मामला बीते साढ़े तीन सालों से लम्बित है। पुलिस ने इस पर अब तक कुछ नहीं किया है। उस पर दबाव डालने के मकसद से याचिका लगाई गई है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील दिवाकर से पूछा कि क्या वह इससे संतुष्ट हैं।

उन्होंने कहा कि हम अब तक की जांच से संतुष्ट हैं। पुलिस से कुछ और जानकारी मांगी गई है। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में केन्द्रीय फॉरेन्सिक साइंस लैब (सीएफएसएल) और फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट में अंतर होने की बात से असहमति जाहिर की और अतिरिक्त जानकारी के साथ पुलिस को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।

रिपोर्ट में बताया गया कि मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज से डाटा डिलीट किया गया था, जिसे फॉरेंसिक जांच के दौरान वापस नहीं पाया जा सका। फिलहाल, मोबाइल बनाने वाली कंपनी के पास उसे भेजा जा रहा है, ताकि उसकी चिप में मौजूद जानकारी को पाया जा सके।

अनोखा सर्वेक्षण

- संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण कराया, जिसमें तमाम देशों से एक ही सवाल पूछा गया था- निवेदन है कि अन्न की कमी बाकी दुनिया में बढ़ रही भुखमरी को खत्म करने के उपाय के बारे में आपकी ईमानदारी से राय क्या है, बताएं।
- संयुक्त राष्ट्र संघ इस सर्वेक्षण के जवाब के आधार पर गंभीर कदम उठाना चाहता था लेकिन सर्वेक्षण बुरी तरह विफल रहा है क्योंकि-
- अफ्रीका के लोगों को 'अन्न' क्या है, यह पता नहीं था
- भारत के लोगों को 'ईमानदार' क्या है, यह पता नहीं था
- यूरोप के लोगों को 'कमी' क्या है, यह पता नहीं था
- चीन के लोगों को 'राय' क्या है, यह पता नहीं था
- मध्य एशिया के लोगों को 'उपाय' क्या है, यह पता नहीं था
- दक्षिण अमरीका के लोगों को 'निवेदन' क्या है, वह पता नहीं था और अमरीका ....
- अमरीका के लोगों को 'बाकी दुनिया' क्या है, यह पता नहीं था

''सत्यमेव जयते''

हर साल 30 हजार महिलाओं की तस्करी होती है देश से

मुम्बई। भारत से हर साल करीब 30 हजार महिलाओं की तस्करी होती है। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं पश्चिम बंगाल और उसके बाद मुम्बई से तस्करी करके बाहर भेजी जाती हैं। ये आंकड़े मुम्बई में हुए दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सामने आये हैं। सम्मेलन में दुनिया भर में मानव तस्करी की समस्या और उस पर काबू पाने पर विचार किया गया। इसमें 25 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने कुछ अन्य संगठनों के साथ मिलकर किया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर के अनुसार अकेले मुम्बई से करीब 10,000 महिलाओं को हर साल तस्करी करके बाहर भेजा जाता है। ये महिलाएं देश के विभिन्न हिस्सों से लाई जाती हैं।

मुम्बई, पश्चिम बंगाल या असम के रास्ते विदेश भेजी जाने वाली महिलाओं में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार से लाई गई महिलाएं और 18 वर्ष से कम की बच्चियां भी शामिल होती हैं। घाना जैसे देशों में इनका उपयोग स्वेतिहर मजदूरों के रूप में और अरब देशों में घरेलू नौकरानियों एवं देह व्यापार के लिए किया जाता है। नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से तस्करी करके लाई जाने वाली लड़कियों और महिलाओं को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रास्ते मुम्बई और कोलकाता भेजा जाता है। राहटकर के अनुसार तस्करी से छुड़ाई गई महिलाओं और लड़कियों के पुनर्वास के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। अतीत में ऐसी कई महिलाओं का पुनर्वास हुआ भी है। ऐसी एक लड़की अब एयर होस्टेस बन चुकी है, तो चेन्नई में एक महिला ग्राम पंचायत सदस्य है। कुछ महिलाएं आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी कर रही है।

राष्ट्र ही सर्वोच्च है

''कवच'' विचार मंच

आजादी मुफ्त नहीं मिलती

- क्या वास्तव में हम आजाद हैं?
- क्या हम आने वाले 60 साल वैसे ही गुजारना चाहते हैं जैसे पिछले साठ साल गुजारे हैं?

आप उस राष्ट्र को क्या कहेंगे जहां एक सच्चा नागरिक अपनी ही सरकार से, अपनी ही पुलिस से और अपनी ही अदालतों से आतंकित हो? ये आजादी है या गुलामी? ये हमारे प्रतिनिधि हैं या शासक? हम नागरिक हैं या प्रजा या याचक? जिन्हें हम अपने बच्चों का संरक्षक बनाने को तैयार नहीं हैं, उन्हें हम अपने देश का संरक्षक क्यों बना देते हैं? हर देश में सिर्फ दो किस्म के नागरिक होते हैं देशभक्त और गद्दार। एक देशभक्त अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, एक गद्दार अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है।

अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम ही समस्या हैं।

- क्या समय नहीं आया है कि जिम्मेदार नागरिक हाथ फैलाना बंद करें और मार्गदर्शन शुरू करें।
- **देश कभी चोर उचक्कों की करतूतों से बरबाद नहीं होता, बल्कि शरीफ लोगों की कायरता और निकम्मेपन से होता है।**
- क्या हम अपने देशभक्तों की कुर्बानी यूं ही व्यर्थ जाने देंगे?
- हम देशभक्तों को सलाम करते हैं और यह जिम्मेदार नागरिकों से अपील करते हैं कि जिनकी आत्मा सो चुकी है लेकिन मरी नहीं है।

आईए हमारे साथ शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए और इस देश के नागरिकों को वास्तविक आजादी का एहसास कराइए।

"कवच" विचार मंच
श्रीगोपाल शर्मा

सुप्रीम कोर्ट ने...

(पृष्ठ दो का शेष)

उसकी याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त महान्यायवादी तुषर मेहता और पठान की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि सीतलवाड़ और उनके संगठन का आपराधिक मामले में दखल का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इसमें वे न तो निचली अदालत में और न ही हाईकोर्ट में पक्षकार थे।

इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने इसे यह कहते हुए 21 अगस्त तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया कि वह इस मामले के कानूनी पहलू पर विचार करेगी। अदालत ने सीतलवाड़ को इस मामले में सारा विवरण और सार दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय देने से भी इनकार कर दिया। सिब्बल ने जब और अधिक समय देने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हटा देंगे। इसकी जांच की अनुमति देकर मामले की छह महीने के बाद सूचीबद्ध कर देते हैं। शीर्ष अदालत ने नरौदा पाटिया दंगा मामले में पठान के खिलाफ साक्ष्य गढ़ने के आरोप में हाईकोर्ट के आदेश पर दो सितम्बर, 2011 को रोक लगा दी थी।

माँ और नेहरू...

(पृष्ठ दो का शेष)

माउंटबेटन जब भारत के अंतिम वायसराय नियुक्त होकर आए थे, उस वक्त पामेला हिक्स नी माउंटबेटन की उम्रकरीब 17 साल थी। उन्होंने अपनी मां एडविना एश्ले और नेहरू के बीच 'गहरे संबंध' विकसित होते हुए देखे।

पामेला का कहना है, 'उन्हें पंडित जी में वह साथी, आत्मिक समानता और बुद्धिमत्ता मिली, जिसे वह हमेशा से चाहती थी।' पामेला इस संबंध के बारे में और जानने को इच्छुक थीं। लेकिन अपनी माँ को लिखे नेहरू के पत्र पढ़ने के बाद पामेला को एहसास हुआ कि 'वह और मेरी माँ किस कदर एक-दूसरे से प्रेम करते थे और सम्मान करते थे।' 'डॉटर ऑफ एंपायर : लाइफ एज ए माउंट बेटन' पुस्तक में पामेला लिखती हैं, 'मेरी माँ या पंडित जी के पास यौन संबंधों के लिए समय नहीं था, दोनों विरले ही अकेले होते थे। उनके आसपास हमेशा कर्मचारी, पुलिस और अन्य लोग मौजूद होते थे।' ब्रिटेन में पहली बार 2012 में प्रकाशित इस पुस्तक को हेशेत पेपरबैक की शक्ल में भारत लेकर आया है। लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी फ्रेडी बर्नबाई एल्किन्स के बाद में पामेला को बताया था कि नेहरू और उनकी मां का जीवन इतना सार्वजनिक था कि दोनों के लिए यौन सम्बन्ध रखना संभव ही नहीं था। पामेला यह भी लिखती हैं कि भारत से जाते हुए एडविना अपनी पत्रे की अंगूठी नेहरू को भेंट करना चाहती थीं। किताब के अनुसार, 'लेकिन उन्हें पता था कि वह स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अंगूठी उनकी बेटी इंदिरा को दी और कहा, यदि वह कभी भी वित्तीय संकट में पड़ते हैं, तो उनके लिए इसे बेच दें। क्योंकि वह अपना सारा धन बांटने के लिए प्रसिद्ध हैं।' माउंटबेटन परिवार के विदाई समारोह में नेहरू ने सीधे एडविना को सम्बोधित करके कहा था, आप जहां भी गई हैं, आपने उम्मीद जगाई है।

खरी-खरी

एसीजी के संवैधानिक अधिकार-दायित्व एवं आर्थिक महत्ता

डॉ. मानचन्द खण्डेला
9462817770
E mail :
mandandkhandela@gmail.com

लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब सरकारें संविधान की उपेक्षा उसके द्वारा निर्मित संस्थाओं की उपेक्षा करके फलित करती है। क्योंकि वे सरकारों की स्वच्छंदताओं, स्वार्थपरकता, व्यक्तिनिष्ठ, अनियमित एवं अपारदर्शिता को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। जबकि ऐसा करना तो उनका अपेक्षित कर्म, दायित्व और अधिकार है। दुर्भाग्य तो यह है कि यह सब कुछ अतिवादी सामंत प्रवृत्ति व एकाधिकारी मनोवृत्ति के लोग अब संवैधानिक संस्थाओं को अपने मार्ग में रोड़ा समझने लगे हैं। जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है और अधिक खतरे की बात यह है कि कुछ दल एवं व्यक्ति तथा समूह अपने स्वार्थ के अनुसार इन समस्याओं के सम्बन्ध में यानी उनकी जरूरत, महत्ता, वास्तविकता पर समयानुसार विचार पक्ष एवं विपक्ष में अतर्कपूर्ण तरीके से देते रहते हैं। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक को स्वार्थी आलोचना से नहीं छोड़ा गया है। इन पर स्तम्भ के अंतर्गत विवेचन किया गया है। वर्तमान में ज्वलंत प्रश्न कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है जिसे सामान्यत: सीएजी के नाम से ही जाना जाने लगा है।

इसी सीएजी के विभिन्न रिपोर्ट्स के आधार पर पिछली यूपीए सरकार ने उस पर नाक में दम कर रखा था तथा अब पूर्व का प्रतिपक्ष वर्तमान में जब सत्ता में है ऐसी ही रिपोर्ट्स की सच्चाई को पचा नहीं पा रहा है तथा उन्हें बिना कारण के नाक का सवाल बना रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना तो कहीं ऐसा होता है और न कहीं होना चाहिए। संदर्भित महत्व का एक उदाहरण यहां दिया जाना जरूरी है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प के 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों का वहां प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले को वहां के सबसे छोटे न्यायालय ने निरस्त कर दिया। फिर भी वहां न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात तक नहीं की गई। इसी प्रकार स्वस्थ लोकतंत्र के लिये भारत में भी यह जरूरी है कि सीएजी जैसी संस्था को इसके मूल रूप में ही बना रहने दिया जाए। क्योंकि यह तो सरकारों के खर्च-व्यय के उपयोग की बारीकियों का तटस्थ विशेषण कर अनियमितताओं एवं कमियों को तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत भर करता है। इस पर निर्णय लेने का काम या कहें अधिकार तो सरकारों के हाथों में ही होता है। इस प्रकार सीएजी की भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसकी रिपोर्टों के आधार पर ही संविधान के प्रावधानों के अनुसार जनहित में सरकारों को व्यय करने को परोक्ष रूप से तैयार किया जाता है। इस संदर्भ में सीएजी के कार्यों, दायित्वों एवं अधिकारों का विश्लेषण करना सामयिक एवं आवश्यक है।

सीएजी वह संवैधानिक संस्था है जिसे केन्द्र एवं राज्य सरकारों की आय-व्यय का अंकेक्षण करने, व्यापकतर रिपोर्ट तैयार करने और उसे संसद में रखने का भारतीय संविधान से अधिकार मिला है। इस काम के लिये उसके करीब पचास हजार कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें अपने काम का विशेषज्ञ माना जाता है। इसलिए सीएजी के रिपोर्ट का पूरी तरह से अधिकृत, विश्वसनीय एवं तकनीकी रूप से परिपूर्ण माना जाता है। एक सीमा तक कहा जा सकता है कि इसकी प्राय: प्रत्येक रिपोर्ट अपने में परिपूर्ण, तार्किक, वस्तुनिष्ठ एवं व्यापकतर होती है तथा इस विभाग से सेवानिवृत्त सेवाकर्मी को समाज में प्राप्त सम्मान एवं चाहने पर काम भी मिल जाता है। सीएजी की प्रत्येक रिपोर्ट संसद में पेश किये जाने के कारण सभी सम्बन्धित लोगों को सम्पूर्णता, सतर्कता एवं उत्तरदायित्वपूर्णता से काम करना पड़ता है। इसी कारण से प्राय: प्रत्येक सरकार को सीएजी के कारण अटपटी स्थिति में आना पड़ता है। क्योंकि बिचड़ियों की आलोचना का उसके पास सीधा जवाब नहीं होता है।

हाल ही में सीएजी ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि विभिन्न सरकारों ने शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत मिले पिच्यासी हजार करोड़ रुपयों का तो उपयोग नहीं किया, रेलवे के काम से 74 प्रतिशत लोग असंतुष्ट हैं। वहां जो खाना परोसा जाता है वह कई मामलों में मनुष्यों के खाने लायक नहीं होता है। वहां नल के सामान्य पानी से गंदगी में खाना बनाया जाता है, खाने के बदले रसीद या बिल आमतौर पर नहीं दिया जाता है, जिस गति वाली ट्रेनों की कीमत टिकट के रूप में ली जाती है, वैसी गति की सेवा आमतौर पर नहीं दी जाती है। रसोई में तिलचट्टे, चूहे, मक्खियां, मच्छर मिलना सामान्य बात मानी जाती है। इसी प्रकार उसकी रिपोर्ट्स बताती है कि भारतीय सेना के पास दस दिनों से अधिक युद्ध के लायक ही गोला-बारूद है, वायुसेना में तो हवाई जहाजों व अन्य हथियारों का रखरखाव बहुत ही घटिया किस्म का है। देश में अधिकांश संबंधित राज्यों द्वारा बाढ़ को रोकने और बांधों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं के बराबर है तथा कई राज्यों ने तो इससे संबंधित अपनी परियोजना की रूपरेखा दस वर्ष निकल जाने के बाद भी निर्णायक स्तर तक नहीं पहुंचाई है। इसीलिये सीएजी के अनुसार देश में अधिक बाढ़ें प्रकृति का प्रकोप नहीं बल्कि मानव निर्मित समस्याएं हैं।

पहले वाली सरकार के विरुद्ध तत्कालीन प्रतिपक्ष ने सीएजी को रिपोर्ट्स के आधार पर ही अरबों रुपयों के घोटालों, गंभीर किस्म की अनियमितताओं, अकल्पनीय भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे लेकिन शायद किसी के विरुद्ध भी तार्किक स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? क्योंकि सीएजी को केवल जांच करने, रिपोर्ट बनाने, निष्कर्ष निकालने तथा उसे सरकार को सौंपने का ही अधिकार है। उसके संबंध में इससे आगे कोई भी कार्रवाई दंड के रूप में करने का अधिकार नहीं है। तो फिर स्वाभाविक रूप से कहना पड़ेगा कि एक तरह से सीएजी भी बिना दांत का शेर है। या कहें पिंजरे में बंद शेर है। जो दहाड़ तो सकता है लेकिन काट नहीं सकता है। इसके मतलब यह भी नहीं है कि वर्तमान संदर्भों में इस संस्था की आवश्यकता ही समाप्त हो गई है। इसके लगातार अंकेक्षण, विश्लेषण, रिपोर्टिंग्स, संसद व मीडिया में चर्चा, प्रतिपक्ष द्वारा लम्पटाई पर सवाल उठाते रहने से परोक्ष रूप से एक सीमा तक नियंत्रण एवं नियमन होता ही है। अधिकारियों पर नियमानुसार कार्य करने की बाध्यता रहती ही है। इसका ठोस प्रमाण तो यही है कि पिछले वर्षों में जो भी स्केम उजागर हुए, जांच एजेंसी द्वारा जांच कराई गई, मंत्रियों तक को त्याग पत्र देना पड़ा, जेल जाना पड़ा, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, उस पर लगातार बहस पूरे देश में होती रही तो संभावित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर एक सीमा तक नियंत्रण लगा ही है। एक बात यह भी है कि जिन्होंने पिछली बार सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर दूसरों को दोषी बताया वे अब सीधे बच नहीं सकते हैं। लेकिन क्या इतने भर से संतुष्ट हुआ जा सकता है।

क्या अब सरकारों की सीएजी बेवाक टिप्पणियों, अपनी कारगुजारियों के सार्वजनिक होने के डर से इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जायेगा? प्रश्न बहुत गंभीर है।

दूसरी ओर देश का राजनैतिक वातावरण पूरी तरह खराब हो रहा है, आर्थिक अपराधों को लज्जा की नहीं बल्कि बहादुरी की बात माना जाने लगा है, सरकारें कुछ के लिये काम करने लगी है, गैर सरकारी लोग सरकार की निर्णय शक्ति एवं प्रक्रिया को प्रभावित करने लगे हैं, कुप्रबंध की शिकार सरकारें तेजी से निजीकरण, विनिवेश एवं पीपीपी की ओर बढ़ रही हैं, उनका रास्ता अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण एवं भटक कर कुछ हितार्थ विकास का हो गया है तब ही इसकी जरूरत एवं महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है।

जिस प्रकार संसद की महत्ता के नाम पर यह कहा जाने लगा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं निर्वाचन आयोग अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है तो कालान्तर में सीएजी को नियंत्रित करने के बारे में भी आवाजें उठाई जा सकती हैं। जबसे सीएजी ने सेना की स्थिति का वास्तविक आंकलन याने आवंटित धन के कम श्रेष्ठतर उपयोग की बात को अन्य विभागों की तरह ही सार्वजनिक किया है उस पर परोक्ष ही सही उंगली उठना प्रारंभ हो गया है। कहा जा रहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स उसे सीधे सरकार को ही देनी चाहिए। जबकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उसकी जवाबदेही यह है ही नहीं। उसकी रिपोर्ट्स संसद में ही पेश होती है। ऐसा किया जाता है तो मानना पड़ेगा कि सीएजी सरकारों की आय-व्यय का वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी आंकलन कर ही नहीं पायेगी। जिसका सीधा मतलब होगा सरकारों की अर्थ संबंधी हरकतों के बारे में सार्वभौमिकता का अधिकार रखने वाली जनता जान ही नहीं पायेगी जबकि जनतंत्र में हर कोई अन्तत: आम जनता जिसे मतदाता भी कहते हैं के प्रति ही है। सरकारों को ढकने का प्रयास करने के स्थान पर उजागर कमियों को रोकने का प्रयास एवं इस संबंध में उठाये कदमां को सार्वजनिक करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों सरकारों सहित हर संस्था का लक्ष्य तो व्यवस्था को भ्रष्टाचार-अनियमितता मुक्त करना ही है जिससे असमानता घटाने, विकास के लाभ का समान वितरण करने तथा गरीब को गणेश मानने के उद्देश्य को यथा संभव लागू कर सके।

सकारात्मक आधार पर अंतिम निष्कर्ष यही निकला है कि सीएजी जैसी संस्था सरकारों के कार्यकलापों को नियंत्रित, नियमित तथा संविधानिक प्रावधानों के अनुरूप बनाये रखने के लिये वर्तमान संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण, अनिवार्य एवं सामयिक हो गई है। हो सकता है इससे हर बार की तरह अभी भी वर्तमान व्यवस्था को कुछ अन्यथा लगे लेकिन अल्पकालीन सुविधा के लिये इस वस्तुनिष्ठ सास्वस्त प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाना चाहिए नहीं तो अन्तत: इसका वास्तविक महत्व समाप्त ही हो जाना है।

क्या वास्तव में हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है?

1. **क्या जजों के चयन में सरकार का दखल नहीं है?**
2. **क्या स्थानांतरण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है?**
3. **क्या आर्थिक रूप से न्यायपालिका सरकार पर निर्भर नहीं है?**
4. **क्या संसाधनों की पूर्ति के लिए न्यायपालिका सरकार पर निर्भर नहीं है?**
5. **क्या 80 प्रतिशत मुकदमों में जहां सरकार एक पक्षकार है-न्यायपालिका सरकार के दबाव में नहीं है?**
6. **क्या पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में सरकार का दबाव न्यायपालिका पर नहीं है?**
7. **क्या न्यायपालिका को सरकार अपने अंकुश में नहीं रखना चाहती है?**
8. **क्या न्यायपालिका को अवमानना का अधिकार बताकर सरकार उसे अनावश्यक आलोचना का शिकार नहीं बनाती?**
9. **क्या सरकार में मौजूद सम्मानीय सांसद जिन पर आपराधिक वाद चल रहे हैं न्यायपालिका पर दबाव का प्रयास नहीं करते?**
10. **क्या पुलिस+सरकारी वकील+पीपी न्यायालय पर अपना दबाव नहीं बनाते?**
11. **क्या न्यायालय सरकार के विरूद्ध आदेश पारित करने से परहेज नहीं करता?**
12. **क्या आप बता सकते हैं कि आजादी के गत 60 वर्षों में सरकार ने कितने अवसरों पर न्यायिक आदेशों की अवज्ञा/ अवमानना की और क्या कभी किसी न्यायालय ने इन्हें सजा सुनाई?**
13. **क्या न्यायपालिका अपने आपको सरकार का हिस्सा नहीं मानती?**
14. **न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है।**

इस पर आपका अनुभव क्या है?
इस बारे में आपके विचार क्या हैं?
उठाईये कलम और सच्चाई को बोलने व लिखने का साहस बनाईये।

'कवच' विचार मंच
संयोजक
श्रीगोपाल शर्मा

''सत्यमेव जयते''

कश्मीर के वर्तमान हालात पर श्री हरि ओम पंवार की रचना

तुम द्वंद्व करो या क्रंद्व करो
काश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो।
जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदम खोर दरिन्दों से,
आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धन्धों से।
घाटी में आतंकवाद, के कारक बने हुए हैं जो,
बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो
क्यों, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली
मेहमानों के जैसे बिरयानी-चिकन खिलाती है दिल्ली।
जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है
पूनम वाली रात चान्दनी चन्द्र ग्रहण सी लगती है
जिनके कारण माँ की बिन्दी दाग दिखाई तेजी है
वैष्णवो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है
उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है ?
काश्मीर में एक विदेशी-देश दिखाई देता है
संविधान को तुकराता परवेज दिखाई दता है।
वे घाटी में भारत के झण्डों को रोज जलाते हैं
सेना पर हमला करते हैं खूनी फाग मनाते हैं
हम दिल्ली की खामोशी पर शरमिन्दा रह जाते हैं,
भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिन्दा रह जाते हैं।।
शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐंठे हो,
क्या सत्रह मन्त्री मरने के इन्तजार में बैठे हो।।
सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो,
ये गान्धी के गाल नहीं हैं उनको इतना बतला दो,
सीमाओं पर रोज-रोज की आतिथ्यबाजी बन्द करो,
पाक धरा से मिट ही जाए ऐसा कुछ प्रबन्ध करो।
जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मण्डित होते हों,
भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों,
जब तक भारत के नारे जिन्दा हो गुलमर्गा की गलियों में,
शिमला समझौता जलता हो बन्दूकों की नलियों में,
तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुद्दारी की
दिल्ली केवल दे दे मौहलत दो दिन की तैयारी की
सेना को आदेश थमा तो घाटी गैर नहीं होगी
जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, उनकी खैर नहीं होगी।।
सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है,
जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा,
उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा।
सिंघासन के मानिद होते हैं सिंहों का आसन हो,
कायरता से दूर दृढ़ संकल्पों का अनुशासन हो।
राजमहलों के आचरणों की गन्ध हवा में जाती है
राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है।
भारत एक अखण्ड राष्ट्र है सत्ता अरब की ताकत है,
कोई हम पर आंख उठा-ले, किसकी भला हिमाकत है।
धरती अम्बर और समन्दर को ये भाषा समझा दो,
दुनिया के हर पंच सिकन्दर को ये भाषा समझा दो,
अब खण्डित भारत माता की तस्वीर नहीं होने वाली,
काश्मीर किसी के बाबा की जागीर नहीं होने वाली।।

71वें स्वतंत्रता दिवस...

(पृष्ठ एक का शेष)

दूसरी ओर अपराधिक मामलों में मुस्लिम शरिया कानून अपनाने से परहेज कर रहे है।

यह देश 700 वर्षों तक आक्रान्ताओं का गुलाम रहा, 200 वर्ष तक अग्रेजों का गुलाम रहा और हम देशवासी आपस में जाति, धर्म, सम्प्रदाय के नाम से लडते रहे किंतु आजादी के बाद भी इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। कुछ कमी रह गई थी उसे कांग्रेस शासन ने आरक्षण के विषवृक्ष से पूरी कर दी है और स्थिति यह हो गई है कि आज भी सारा समाज एक नहीं हो पाया है।

देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल के अथक प्रयासों से देश की 600 रिहासतों का विलय एक साथ संभव हो सका किंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू के कारण कश्मीर का बंटवारा हुआ और उसे अलग दर्जा दिया गया परिणामस्वरूप आज कश्मीर आग में जल रहा है और हमारे सैनिक पत्थरबाजों के शिकार हो रहे है। देश के तथाकथित निर्लज बुद्धिजीवी जो धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरक्षेता चिल्लाते है वह एक शब्द भी इन पत्थरबाजों के विरूद्ध कभी नहीं बोलते। कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडितों को हत्या, बलात्कार और डरा–धमकाकर घाटी से निकाल दिया गया और वोह लोग अपना जीवन तंबूओं में गुजार रहे हैं और पूरा देश इस पर मौन है।

विडम्बना यह है कि महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी जो अभी उपराष्ट्रपति के उम्मीदार पद पर निर्वाचित नहीं हो सके ने कहा है कि अभिव्यक्ति, विचार और आस्था की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमले किये जा रहे हैं और लोगों की जानकारी में मनोवैज्ञानिक प्रवृति का एक नया विभाजन बोया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि साम्प्रदायिकता के गोलों को उनके रास्ते में रोकने की जरूरत है। उन्होंने जनता को लिखे एक पत्र में कहां हालांकि विभाजन अब अतीत की बात है तब भी हमारे मानस में मनोवैज्ञानिक अलगाव का एक विभाजन बोया जा रहा है और हमें साम्प्रदायिता के गोलों को अवश्य रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था विचार और अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमले किए जा रहे है लोक मुद्दो के लिए काम कर रहे संस्थान अपने उपर जहा वह असहमत होना चाहते है वहां पालना करने, जहां बोलने की इच्छा रखते है वहां चुप रहने का स्पष्ट दबाव महसूस करते है। जब परस्पर निष्ठा की बात आती है, असहिष्णुता और कट्रता अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बढ गई है। उनका कहना है कि हमारे मानस में एक नये किस्म का मनोवैज्ञानिक विभाजन बोया जा रहा है। गोपाल गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता न्याय बराबरी के जो विचार स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्यों और मूल्यों से निर्मित हुए है वह आजाद भारत के 70 वें साल में एक अप्रतिरोध्य अतिआवश्यकता बन गये है।

यह दर्शाता है कि गांधी जी के पौत्र भी आज असहज महसूस कर रहे है किंतु हैरत यह है कि एक ओर वह आंतकियों की पैरवी करते पाये गये है वहीं दूसरी ओर जो घटनाये कश्मीर और केरल में घट रही हैं उसके प्रति मौन हैं।

क्या आपको लगता है कि हमारा देश स्वतंत्र देश है? देश के नागरिक इस पर विचार करे।

सत्यमेव जयते।

प्रणव रॉय...

(पृष्ठ दो का शेष)

जाता था... इस तरह हमारे और हमारे टैक्स के पैसों से एनडीटीवी चैनल बन गया। कोई बात नहीं हर इस तरह का आदमी ऐसे ही पैसे बनाता है। लेकिन चोर साहूकार बनने की कोशिश में आखिर पकड़ा ही जाता है।

जरा चिन्तन कीजिये। सोचिये 1998 में दूरदर्शन प्रणव रॉय को द वर्ल्ड दिस वीक कार्यक्रम के भुगतान में दो लाख जैसी मोटी रकम देता था... इतनी रकम रामायण और महाभारत जैसे सीरियल को भी नहीं दी जाती थी... जबकि रामायण और महाभारत सीरियल से दूरदर्शन को हर हफ्ते बीस लाख की कमाई होती थी... द वर्ल्ड दिस वीक के सारे कन्टेन्ट प्रणव रॉय को सिर्फ बोलना होता था.... प्रणव रॉय की समृद्धि और दौलत यहीं से बरसने लगी... लेकिन दूरदर्शन को नुकसान होने लगा। इतना ही नहीं प्रणव रॉय ने एनडीटीवी में बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बेटे-बेटियों, मंत्रियों के रिश्तेदारों को रखना शुरू किया... बदले में उनसे खूब फायदा भी लिया.... श्रीनिवासन जैन के पिता सीनियर आईएएस थे.... निधि कुलपति के पिता आईएएस थे... सोनिया सिंह के ससुर सीपीएन सिंह मंत्री थे और पति आरपीएन सिंह भी मंत्री थे... विनोद दुआ के ससुर आईएएस थे... रविश कुमार के पिताजी और बड़े भाई कांग्रेस नेता थे... बरखा दत्त के पिताजी सीनियर आईएएस थे... और पति जम्मू-कश्मीर का मंत्री... यानी एनडीटीवी ने सत्ता को खुश करके खूब कमाई की।

मनमोहन सिंह के जमाने से पहले ही देश में उदारीकरण के दौर में मीडिया मुगल रूपर्ड मडोक भारत में स्टार न्यूज खोलना चाहते थे... लेकिन प्रणव रॉय ने अपने वामपंथी और कांग्रेसी सम्पर्कों का खूब इस्तेमाल किया और रूपर्ड मडोक को साफ संदेश दे दिया गया कि यदि स्टार ग्रुप भारत में काम करना चाहता है तो उसे प्रणव रॉय के साथ ही साझेदारी करनी होगी... आखिर में रूपर्ड मडोक को दो करोड़ डॉलर का कांट्रेक्ट करके स्टार ग्रुप का पूरा कामकाज प्रणव रॉय को देना पड़ा... वरना अनुमति नहीं मिलेगी... आखिर रूपर्ड मडोक ने प्रणव रॉय के साझेदारी में भारत में स्टार न्यूज लांच किया... आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टार न्यूज की लांचिंग भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के सरकारी आवास पर हुई थी।

ऐसे प्रणव रॉय के पाप का घड़ा कांग्रेस राज में ही भरने लगा... नीरा रादिया टेप में बरखा दत्त दलाली करते पाई गई... फिर कांग्रेस राज में सूचना प्रसारण मंत्री सी.के. इब्राहिम को जब प्रणव रॉय के पापों की भनक लगी तो उन्होंने विजिलेंस जांच के आदेश दिए... जब विजिलेंस रिपोर्ट आई तब सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई... पता चला कि प्रणव रॉय दूरदर्शन का खून चूस रहे हैं... मजबूरी में कांग्रेस सरकार को एनडीटीवी की पार्लियामेंट कमेटी से जांच करवानी पड़ी... पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट बाकायदा संसद में पेश हुई... जिसमें लिखा था कि प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने एनडीटीवी और कई बैंक को करीब सौ करोड़ का चूना लगाया है... मजबूरी में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने प्रणव राय के खिलाफ सीबीाई जांच के आदेश दिए... लेकिन प्रणव रॉय अपने रसूख का फायदा उठाकर जांच से बचते रहे...

ताजा तस्वीर यह है कि अब मोदी सरकार ने जब जांच कराई तब प्रणव रॉय के पुराने पापों का लेखा-जोखा लोगों के सामने आ रहा है।

निरंजन परिहार

सच उगलवाने के लिए....

(पृष्ठ पांच का शेष)

तस्लीमुद्दीन, अंसारी, अमरमणि, शिब्बू सोरेन जैसे अनेकों लोग है जिनके विरुद्ध गम्भीर अपराधिक मुकदमे है, उन्हें पता नहीं हमारा कानून कैसे जमानत दे देता है तथा छोटे-छोटे अपराध में आरोपी अपराध की सजा से अधिक समय जेलों में बिता रहे है। काश बोहरा कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता। उसके अनुसार उन अपराधियों का नारको एनलिसिस टेस्ट कराया जाता तो जांच एजेंसियों की मुश्किले भी कम हो जाती।

कविता रानी की हत्या, आत्महत्या, अपहरण या उसके गुम होने की सही कहानी की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायमसिंह सरकार के पूर्व मंत्री श्री करनपाल व बाबूलाल जी का भी नारको एनलिसिस टेस्ट कराया जाता तो तत्काल कविता रानी के रहस्य का पर्दाफास हो सकता था। काश संगीन अपराधियों भ्रष्टाचारियों व घोटालेबाजों का अनिवार्य रूप से नारको एनलिसिस टेस्ट कराया जावे तो इस देश में न केवल अपराध की घटना में कमी आ सकती है किन्तु अरबों रुपए अपहरण उद्योग के सरकारी खजाने में आ सकते हैं और सबसे कारगर तो यह निर्णय होगा जिसमें भारत सरकार को देश में एक फ्री जोन बनाकर वहां यह कानूनबनाकर स्वीकार कर लिया जावे कि उस जोन के बैंकों में किसी भी देश का नागरिक, भारत सहित राशि जमा करा सकता है, उसे श्रोत नहीं बताना होगा। इस व्यवस्था से भारत का धन विदेशों में जाने से तो बचेगा ही साथ ही अरब का सारा पैसा जो यूरोप व अमेरिका की बैंकों में जमा हो रहा है वह भी भारत के बैंकों में जमा हो सकेगा। इससे भारत को तो फायदा ही फायदा होगा क्योंकि वर्तमान तंत्र न तो कालेधन पर रोक लगा सकता है और न ही हमारा न्याय तंत्र किसी भी भ्रष्टाचारी को सजा दे सकता है तो ऐसी स्थिति में इस राष्ट्र के लिए यह सर्वोत्तम विकल्प होगा।

''सत्यमेव जयते''

जयपुर 'विकास प्राधिकरण' एक असंवैधानिक संस्था?

सम्पूर्ण देश में स्वायत्तशासी संस्थाओं का स्थान विकास प्राधिकरण नाम की इन असंवैधानिक संस्थाओं ने लेना शुरू कर दिया है। भूमि घोटालों के सबसे बड़े केन्द्र बन गये इन प्राधिकरणों का नाम समाचार पत्रों की सुर्खियां बने हुए हैं। कभी लखनऊ विकास प्राधिकरण तो कभी नोइडा विकास प्राधिकरण। नोएडा में तो जिन लोगों को अवैधानिक रूप से भूखंडों का आवंटन हुआ उसे सर्वोच्च अदालत को रद्द तक करना पड़ा। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों तक पर आरोप लगे। यही स्थिति कमोबेश सारे देश की है। जयपुर में भी एक ऐसे ही संस्थान का गठन 1982 में हुआ है।

हमारे संविधान के अनुसार शासनतंत्र की मुख्य संस्थाओं में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा और इसके बाद नम्बर आता है स्वायत्तशाषी संस्थाओं का जैसा कि नाम से ही प्रकट होता है कि स्वायत्तशाषी यानि स्वयं के द्वारा शासित संस्था जिसमें नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत आदि आते हैं। इन स्वायत्तशाषी संस्थाओं के संचालन का भार उस क्षेत्र के विधि अनुसार चुने हुये व्यक्तियों द्वारा होता है और इसके अतिरिक्त स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पंजीकृत उपरोक्त संस्थायें ही स्वायत्तशाषी मानी जाती है। हर संस्था में उस क्षेत्र के लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और उन्हीं चुने हुए लोगों में से सरपंच, अध्यक्ष, महापौर (नगर निगम) आदि का चुनाव कराया जाता है हमारे संविधान में इन संस्थाओं की स्पष्ट व्याख्यायें मौजूद हैं और ये संस्थाएं आजादी के बाद से अपना कार्य करते हुए कायम है।

किन्तु वर्ष 1982 में एक नई तथाकथित स्वायत्तशाषी संस्था का गठन हुआ जिसका नाम जयपुर विकास प्राधिकरण रखा गया जिसका काम नगर का समुचित विकास करना था किन्तु इस विभाग के कार्यकलापों को देखकर इसे जयपुर विकास प्राधिकरण के स्थान पर जयपुर विनाश प्राधिकरण कहा जाना उचित होगा। इस संस्था का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया। इस संस्था में सर्वोच्च पद पर स्वायत्त शासन मंत्री (चेयरमैन) तथा प्रतिनियुक्ति पर आये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आयुक्त तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ अधिकारी, सचिव तथा सैंकड़ों अधिकारी, कर्मचारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर यहां लगाये गये। इसके अलावा इस संस्था के संचालक मंडल में विद्युत, जल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कई क्षेत्रीय विधायक आदि भी हैं जिन्हें जन प्रतिनिधि के रूप में बताया गया है। इस संस्था का जिसे जयपुर शहर (परकोटे के बाहर) के बाहर के हिस्से के विकास का सम्पूर्ण काम दिया गया। परकोटे के अन्दर दूसरा स्वायत्तशाषी विभाग काम कर रहा है जिसका नाम वर्तमान में नगर निगम और पूर्व में नगर परिषद था। एक ही शहर में दो स्वायत्तशाषी संस्थायें (1) नगर निगम जिनमें सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तथा उनमें महापौर का चुनाव होता है तथा बाकी अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। (2) जयपुर विकास प्राधिकरण जिसे सरकार द्वारा सीधे नियंत्रण में लेकर शासित किया जा रहा है और उसमें कोई जन प्रतिनिधि नहीं है और जिन्हें सरकार ने नियुक्त किया है वो जन प्रतिनिधि तो है किन्तु इस संस्था के संवैधानिक जनप्रतिनिधि तो किसी भी स्थिति में नहीं है। सरकार द्वारा जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति संविधान की मूल भावना के विरूद्ध है जिसे स्वायत्तशाषी संस्था भी नहीं कहा जा सकता और स्वायत्त शासन द्वारा इसका पंजीयन भी गैरकानूनी है। 73 एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद तो इस तरह के प्राधिकरणों का कोई संवैधानिक अस्तित्व ही नहीं रहा है।

दिल्ली में ''दिल्ली डवलपमेंट अथोरिटी'' की तर्ज पर खोला गया यह विभाग दिल्ली में तो संवैधानिक रूप से ही कार्य कर रहा है क्योंकि वहां उसका काम उसकी अपनी योजना तक में सीमित है, उससे बाहर नहीं और समस्त दिल्ली में शासन दिल्ली नगर निगम का है या यों कहें उसका कार्यक्षेत्र आवासन मंडल की तरह है किन्तु राजस्थान में आवासन मंडल स्वायत्तशाषी संस्था नहीं है।

सरकार का यह तर्क हो सकता है कि उसने जनप्रतिनिधियों को इस संस्था का सदस्य बना दिया अत: वह स्वायत्तशाषी संस्था हो गई फिर सरकार कहे कि नगर परिषद या पंचायत में भी जन प्रतिनिधि नियुक्त कर दिये तो क्या वहां अब जनप्रतिनिधियों को चुनने की आवश्यकता नहीं होगी?

इस संस्था का गठन केवल कार्य विशेष के लिए होता तो कोई बात नहीं थी जैसे ब्रिज कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन किन्तु प्राधिकरण का स्वरूप व पंजीयन स्वायत्त शासन द्वारा किये जाने के बाद उसका संचालन कोई और व्यक्ति करे यह न केवल गैर कानूनी है बल्कि संविधान की मूल भावना के विरूद्ध भी है। राज्य सरकार ने इस विशालकाय संस्था का गठन किया था तब यह भी उम्मीद थी कि इससे जयपुर शहर के सुनियोजित विकास में चार चांद लग जायेंगे किन्तु चांद तो दूर पूरे शहर में अनियोजित निर्माण का अंधकार ही अंधकार है। इस संपूर्ण अनियोजित कार्य के लिए किसी एक संस्था को जिम्मेदार ठहराया जावे तो वह है जयपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्र जितना बड़ा है उतना ही अवैध निर्माण है। यह संस्था चाहती ही नहीं कि अवैध निर्माण रूके क्योंकि अवैध निर्माण की खाद में ही तो यह पनप रही है। यदि वैध निर्माण का रास्ता शुरू हो जायेगा तो करोड़ों रूपयों की रिश्वत इस विशाल संगठन को कहां से मिलेगी?

इस संगठन के पास अपने लवाजमे के अलावा पुलिस विभाग का लम्बा चौड़ा अमला गाड़ी, जीपों का अंबार तथा भय दिखाने के लिए भूतकाय ''बुल्डोजर''। इन साधनों का डर दिखाकर इस संस्था ने न केवल शहर के विकास का सर्वनाश किया है बल्कि लोगों को बेरहमी से लूटा है। जंगल राज की तरह।

यह कैसी स्वायत्तशाषी संस्था है? दिल्ली में जब नगर निगम बना तो पुराने गांवों को अलग से उन्हें लाल डोरा क्षेत्र के नाम से चिन्हित किया किन्तु इस संस्थान ने तो न तो गांव को बक्सा और न किसी ढाणी को। सरकार ने वाहनों का काफिला इन्हें अवैध निर्माण रोकने के लिए उपलब्ध कराया था किन्तु इन लोगों ने इसे रूपये एकत्रित करने में सहयोग का एक जरिया माना। शहर के समस्त प्लान का सर्वनाश इन्हीं के हाथों हुआ है। इस विभाग में काम के नाम पर केवल अवरोध है और इनके भूखंडों की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर है जिसकी वजह से अन्य संस्थाओं का उदय हुआ है और अवैध निर्माण शुरू हुए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण को अवैधानिक बताते हुए एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में वर्षों पूर्व दायर की गई थी किन्तु नोटिस जारी होने के बाद आगे कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्वायत्तशासन की जिम्मेदारी में रोटी, कपड़ा व मकान माने गये हैं किन्तु सरकार न तो लोगों को रोटी दे पा रही है और कपड़े यहां के लोग पहनते ही कब थे? बचा सिर्फ मकान जो आप कहीं भी कब्जा कर कच्ची बस्ती बनाकर प्राप्त कर सकते हैं या किसी गृह निर्माण समिति से कृषि भूखंड ले सकते हैं। जिसे यह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे और अवैध निर्माण को बन्द नहीं करेंगे। आप उनका ध्यान रखें वे आपका रखेंगे- इस शहर का क्या होगा यह तो कोई पूछने वाला नहीं?

इस असंवैधानिक संस्था को बंद किया जाना चाहिए तथा समस्त नगर निगम के जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही के साथ करवाये जाने चाहिए। ज्यों ही यह विभाग बन्द होगा उसी रोज एक नया नगर बसने जितना बजट विकास के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद यदि विकास हुआ है तो उस विभाग के संचालकों का ही हुआ है इस शहर का नहीं। आप यदि इस शहर का विकास चाहते हैं तो इस रिसाव के बहुत बड़े छिद्र (जयपुर विकास प्राधिकरण) को बन्द करना ही होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण में
न्यायाधीशों के बाद अब न्यायालय भी प्रतिनियुक्ति पर

अब तक तो यह सुना जाता था कि न्यायाधीशों को समय समय पर राज्य सरकार अपने विभागों में विधि निदेशकों के रूप में प्रतिनियुक्ति पर बुलाती रही है किन्तु अब दो कदम आगे बढ़कर जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने अधीन तीन-तीन न्यायालयों को प्रतिनियुक्ति पर प्रस्तापित करवा लिया है।

1.जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय ट्रिब्यूनल

2. अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश क्रम संख्या 1

3. अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायालय क्रम संख्या 2

सिविल कोर्ट की लम्बी व थकाऊ प्रक्रिया से बचने के लिए और न्यायालयों को अपने अधीन एवं न्याय को प्रभावित करने के उद्देश्य से इन न्यायालयों की नियुक्ति करवाई गई है गंभीर एवं न्याय विचारणीय विषय यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट में ट्रिब्यूनल में किसी भी न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया है। जैसा कि एक्ट में लिखा है वह निम्न प्रकार है:-

83(2) **The Tribunal shall consist of one person who shall be an officer of the State Government and shall be paid such salary and allowances as may be determined by the State Government.**

कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायिक अधिकारी सरकारी अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि जहां भी न्यायिक अधिकारी की ट्रिब्यूनल में नियुक्ति होती है वहां विशेष रूप से उल्लेखत होता हैकि एक सदस्य न्यायिक सेवा का अधिकारी होगा। जबकि ट्रिब्यूनल में कार्यरत समस्त कर्मचारी भी न्यायिक सेवा से न होकर प्राधिकरण के कर्मचारी हैं। जिसकी वजह से समस्त न्यायालय रिकार्ड उनके अधीन होता है। समस्या और भी बढ़ जाती है कि जब कि उपरोक्त न्यायालय में जहां जेडीए स्वयं एक पक्षकार हो, वहीं जेडीए के कर्मचारी ही न्यायालय के रिकार्ड को अपने अधीन रखे। यह व्यवस्था न्यायालय की स्वतंत्र अवधारणा के विपरीत है। साथही इन न्यायालयका जयपुर विकास प्राधिकरण में चलाया जाना भी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

आश्चर्यजनक बात तो यह है कि ट्रिब्यूनल में नियुक्त सदस्य राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी होता है और उस न्यायिक अधिकारी की सेवा का गोपनीय प्रतिवेदन (सी.आर.) राज्य सरकार के सचिव द्वारा भरी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्याय मिलना संदिग्ध हो जाता है। इसी प्रकार अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के दो न्यायालय भी जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन काम करते हैं जो सरकारी भूमि पर कब्जे एवं अन्य अपराधिक वादों की सुनवाई जेडीए एक्ट की धारा 72 के तहत सुनवाई करते हैं किन्तु सरकार अब यह चाहती है कि धारा 72 की जगह वह अपराधिक वाद पुलिस में दर्ज करवाये और उनकी सुनवाई इन न्यायालयों में करवाई जाए। ऐसा पाया गया है कि आज तक प्राधिकरण के विरुद्ध शायद ही कोई फैसला इन न्यायालयों द्वारा सुनाया गया हो। हां यदा-कदा ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला प्राधिकरण के विरुद्ध सुना भी दिया हो तो उसकी पालना कभी प्राधिकरण ने नहीं की है।

वर्तमान समय में जयपुर विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारी लगातार इन प्रयासों में लिप्त है कि राजस्थान पुलिस के एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति जेडीए में करवाई जावे और जेडीए परिसर में ही एक थाना खोला जाए जिससे कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी अपने मनमानियों के ताण्डव दिखा सके। ज्ञातव्य है कि वर्तमान समय में प्राधिकरण में सहकारी विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तीन उप रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी आए हुए हैं और जेडीए में एक सैल का गठन किया गया है,जहां धारा 75 के अनुसार न्यायिक अधिकारी स्तर की शक्तियां प्रदान की हुई है। जबकि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के अधीन कार्यरत उप रजिस्ट्रार को ही यह न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। अब प्राधिकरण रजिस्ट्रार सहकारी समितियां की धारा 75 का निपटारा भी अपने अधीन बनाये जाने वाले थानों के द्वारा ही करवाना चाहता है जो कि पूर्णत: अवैधानिक है।

''सत्यमेव जयते''

भारतीय पुलिस संस्कृति में भ्रष्टाचार की जड़ें

एडवोकेट मनीराम शर्मा,
सरदारशहर

भारतीय पुलिस में भ्रष्टाचार सर्वविदित और सुज्ञात है। जो इस विभाग में ईमानदार दिखाई देते हैं वे भी लगभग ईमानदारी का नाटक ही कर रहे हैं और वे महाभ्रष्ट नहीं होने से ईमानदार दिखाई देते हैं। भ्रष्ट भी दो तरह के होते हैं : एक वे जो माँगते नहीं अपितु दान दक्षिणा स्वीकार करते है : पुजारी होते हैं। दूसरे वे जो मांग कर रिश्वत लेते हैं : भिखारी होते हैं। ये ईमानदार दिखाई देने वाले ज्यादातर पुजारी होते हैं। भ्रष्टाचार को पुलिस में शिष्टाचार माना जाता है और जनता को यह विश्वास होता है कि बिना रिश्वत के काम नहीं होगा इसलिए वे बिना मांगे ही रिश्वत दे देते हैं जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। पुलिस को भ्रष्ट विभाग कहने पर कुछ पुलिसवाले इस पर आपत्ति करते हैं और बचाव करते हैं कि पुलिस कोई भ्रष्टाचार की फैक्ट्री नहीं है जहां भ्रष्ट लोग बनाए जाते हों। किन्तु मेरा उनसे यह कहना है कि जो कोई भी व्यक्ति सेवा का चयन करता है वह उस सेवा में उपलब्ध विशेषाधिकार, ऊपर की कमाई, रॉब, राजनेताओं की गुलामी आदि जांच पड़ताल कर अपनी रूचि के अनुरूप ही सेवा ग्रहण करता है। पुलिस की नौकरी में उसे इन विशेषाधिकारों और वसूली का ज्ञान होने पर अपने अनुकूल पाने वाले लोग ही यह सेवा ग्रहण करते हैं। जो कोई भी भूलवश जोश में आकर देश सेवा के लिए अपवादस्वरूप यह सेवा ग्रहण करते हैं ऐसे आपवादिक लोग पुलिस में अपनी सेवा सम्मानपूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते और या बीच में सेवा त्याग देते हैं या फिर मुख्यधारा में शामिल होकर नेताओं की गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। कांस्टेबल से लेकर पुलिस प्रमुख और देश के प्रत्येक पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार प्रत्येक स्तर पर तक विद्यमान है। शेरमन (1978) के अनुसार सर्वव्यापी भ्रष्टाचार इस प्रकार पनपने का कारण संगठनात्मक संस्कृति है जो कि विभिन्न प्रकार के विश्वास और मूल्य पद्धति का होना है। भारतीय पुलिस की उप : संस्कृति ब्रिटिशों द्वारा अपना राज स्थापित करने के उद्देश्य से चतुराईपूर्वक बनायी गयी थी।

पुलिस का उद्देश्य ब्रिटिश राज के विरुद्ध किसी भी असंतोष को दबाने का रहा है : एक ऐसी स्थिति जो पुलिस अधिकारियों को असीमित शक्ति दे। परिणाम स्वरुप पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार सामान्य और सर्वव्यापी बन गया। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी इस निकाय में कोई सुधार नहीं हुआ और पुलिस संस्कृति व संगठनात्मक परम्पराएं अपरिवर्तित रही। ब्रिटिश काल में स्वाभाविक रूप से जनता के प्रति शासकों के दायित्व का कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि देश में औपनिवेशिक शासन था। स्वतन्त्रता के बाद का भारत लोकतंत्र है और सरकार बदलने की शक्ति जनता में निहित है। फिर भी पुरानी व्यवस्था जारी है और पुलिस नागरिकों के प्रति अभी भी जिम्मेवार नहीं है। (बक्सी 1980) इसकी कार्यशैली में बहुत कम परिवर्तन हुआ है और भ्रष्टाचार बढ़ना जारी है तथा इसने नयी जड़ें बना ली हैं। यहाँ इस बात पर स्वस्थ बहस की जा सकती है कि भारतीय पुलिस में विस्तृत भ्रष्टाचार ने संगठनात्मक और सांस्कृतिक आदर्शों में अपनी गहरी पैठ बना ली है। जैसे कि क्रेंक (1998-4) ने सुझाव दिया है पुलिस का व्यवहार तो तभी झलकता है जब उसी संस्कृति के लेंस से देखा जाए। इस आलेख का उद्देश्य भारतीय पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की सांस्कृतिक जड़ों को उजागर करना है।

सर्वप्रथम, पुलिस विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक व्याप्त आम स्वरुप को उजागर करना है। द्वितीय, उन संगठनात्मक परम्पराओं पर चर्चा करना और ब्रिटिश काल से उद्भव का पता लगाना है। इस बात को सौदाहरण प्रस्तुत करना कि किस प्रकार जनता से दूरी बनाए रखने की औपनिवेशिक मानसिकता व परम्परा को जानबूझकर लागू किया गया और किस प्रकार अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों में इससे धन दोहन की परम्परा को प्रोत्साहन मिला। भ्रष्ट व्यवहार भारतीय पुलिस व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गया है और प्रत्येक विभाग, पद व प्रशिक्षण केन्द्रों सहित प्रत्येक संस्थान में पाया जाता है। यह बुराई पूरे देश में और पुलिस के प्रत्येक पहलु में फ़ैल चुकी है।

विभाग में पुलिस थाने के प्रभारी का पद सबसे आकर्षक और मलाईदार पद माना जता है और अक्सर एक तरह से नीलामी पर ही छोड़ा जाता है। अनुचित रूप से उसे आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए, अनुसंधान करने और गेटकीपर की तरह संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने, अधिकांश आपराधिक अनुसंधान को नियंत्रित करने में उसे काफी स्वायतता होती है और इसीलिए थाने की बजाय पुलिस लाइन में पद स्थापना को एक दंड मना जाता है। ये शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 -158 में वर्णित हैं और इससे वह वसूली तथा अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार करने में सक्षम होता है। घोष जो कि (1978-158-159)पुलिस महानिरीक्षक पद से सेवा निवृत हुए ने इसे हफ्ता या दुकानदारों, ठेलेवालों, व्यापारियों और उसके क्षेत्र में कार्यरत अपराधियों से सासाहिक भुगतान को भारत में पुलिस का सर्वमान्य भ्रष्टाचार बताया है। शक्ति के इस दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है कि दंड प्रक्रिया संहिता में नयी धारा 36 ए इस प्रकार जोड़ी जानी चाहिए - इस कानून के तहत कार्यरत प्रत्येक पुलिस अधिकारी समय पर, उचित व सही निर्णय और कार्यवाही के लिए जवाबदेय होगा।

अंततः फलता-फूलता भ्रष्टाचार विमर्श का विषय है कि वर्तमान पुलिस नेतृत्व ने सौ वर्ष से भी अधिक समय पूर्व प्रारम्भ की गयी संगठनात्मक संस्कृति को अपना लिया है और अनुसरण करती आ रही है। इस प्रकार की भ्रष्ट परम्परा को मात्र पुलिस संगठन में सांस्कृतिक परिवर्तन से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

भारत में पुलिस बल जबरन वसूली के लिए कुख्यात है और वर्तमान में यह अपने चरम पर है। ग्रामीण चौकीदार- के निम्नतम स्तर से लेकर महा निदेशक के उच्चतम स्तर तक गंदे दागदार हाथों के लिए जाने जाते हैं। (टाइम्स ऑफ़ इंडिया 1997 ए)। मध्यम स्तरीय अधिकारी व कनिष्ठ स्तरीय निरीक्षक जो कि अनुसन्धान कार्य करते हैं अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करके जन सामान्य-परिवादी, गवाह तथा स्वाभाविक रूप से अभियुक्त को चौथ वसूली के लिए को अपना निशाना बनाते हैं। पुलिस थाने के सिपाही लोग भी ठेलेवालों, फूटपाथ के विक्रेताओं, ट्रक और बस ड्राइवर्स (आनंदन- इंडियन एक्सप्रेस 1997) से वसूली करते हैं और सामूहिक सौदेबाजी से अपना हिस्सा मांगते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे आई पी एस अधिकारी जो कि वरिष्ठ पदों को धारण करते हैं देश में प्रतिष्ठा पाते हैं। पुलिस थानों में कुल पुलिस बल का मात्र 25 प्रतिशत हिस्सा ही कार्यरत होता है, शेष महत्वपूर्ण लोगों के लिए आरक्षित रहता है जबकि जनता इस सम्पूर्ण बल का खर्चा वहन करती है। थानों में स्टाफ की कमी को अनुसंधान आदि में विलम्ब का कारण बताया जाता है जबकि वे लोग रात दिन ड्यूटी करते हुए भी अधिक काम की शिकायत नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि थानों में और स्टाफ लगा दिया गया तो उनकी वसूली में हिस्सेदार बढ़ जायेंगे।

यद्यपि इस स्तर पर भी भ्रष्टाचार अब सर्वमान्य है और वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। आई पी एस अधिकारी तबादला उद्योग, रिश्वत लेने और पक्षपोषण से धन कमाते हैं। (इंडियन एक्सप्रेस 1999) यह मांग गणवेश के आपूर्तिकर्ताओं से कमीशन, अन्य कार्यालय उपकरणों, हथियारों व वाहनों की आपूर्ति में और यहाँ तक कि व्यापारिक घरानों से जबरन वसूली (प्रोटेक्शन मनी) तथा धन या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मामलों में अनुचित अनुसन्धान तक विस्तृत है (कुमार 1996)।

(शेष अगले अंक में)

पुलिस सुधार के लिए इंग्लैंड से सीखें....

पुलिस दुराचरण के विरुद्ध लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं। वर्ष 2007 में बनाए गए विभिन्न राज्यों के विकलांग पुलिस कानून में प्रावधान की गई कमेटियों का आज तक गठन नहीं हुआ है व राजस्थान उनमें से एक है। यद्यपि इन कमेटियों के गठन से भी धरातल स्तर पर कोई लाभ नहीं होने वाला क्योंकि जांच के लिए पुलिस का ही सहारा लिया जाता है। आखिर कोई पेड़ अपनी शाखा को किस प्रकार काट सकता है ? देश में मानवाधिकार आयोगों का भी यही हाल है क्योंकि वहां पर भी ज्यादातर शिकायतें पुलिस के विरुद्ध ही होती हैं और पुलिस ही इनकी जांच करती है और कई बार तो स्वयं आरोपित से ही जांच रिपोर्ट मांगी जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्णय- प्रेम हजारा के मामले में कहा है कि जब शिकायत स्वयं किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध हो तो जांच पुलिस द्वारा नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से भारतीय पुलिस के विरुद्ध पुलिस जो कि पहले से ही बदनाम है, द्वारा जांच का कोई अभिप्राय: नहीं है, मात्र समय और सार्वजनिक धन बर्बाद करने की कोरी औपचारिकताएं ही है। दिल्ली पुलिस के मामलों में यह तथ्य सामने आया है कि पुलिस के विरुद्ध एक वर्ष में प्राप्त 12872 शिकायतों में मात्र 35 मामलों में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और शायद ही किसी मामले में कोई दोषसिद्धि हुई होगी। सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का....। जबकि यहां तो पदोन्नति व वाह वाही लूटने के लिए पुलिस फर्जी मामले बनाकर आतंकी तैयार करती है और अत्याधुनिक हथियारों का जुगाड़ करके उनकी बनावटी बरामदगी दिखाती है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि सारे अपराध पुलिस के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यह सहयोग सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार का हो सकता है।

ब्रिटेन में पुलिस के विरुद्ध शिकायतों का समाधान अपने आप में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कि पुलिस की साख और विश्वसनीयता की ओर एक बड़ा कदम है। वहां वर्ष 1984 में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है। यद्यपि औपचारिक तौर परभारत के कई राज्यों में ऐसे पंगु और औपचारिक प्राधिकरण अस्तित्व में हैं। ब्रिटेन का यह अधिकरण पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की गहन जांच करता है। ब्रिटेन का यह प्राधिकरण स्वतंत्र है और जांच के उच्च मानक अपनाता है। स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण को अप्रैल 2004 में पुलिस सुधार अधिनियम 2002 से पुलिस शिकायत प्राधिकरण से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस नवीन प्रणाली से समुदाय को काफी लाभ हुआ और कई जटिल मामलों में नए खुलासे हुए हैं जो कि पुलिस द्वारा दिए गए थे। ब्रिटेन की स्वतंत्रता व स्वायत्तता के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं-

1. यह किसी सरकारी विभाग का अंग नहीं है।
2. यह पूर्णतया अलग सार्वजनिक निकाय है।
3. यह पुलिस सेवा से स्वतंत्र है।
4. न्यायालय के अतिरिक्त कोई भी इसके निर्णयों को बदल नहीं सकता। भारत में ऐसा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों को दिया जा सकता है।
5. इसमें नियुक्त 18 आयुक्त ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि पूर्व में कभी भी पुलिस सेवा में नहीं रहे हों। भारत में इसके अतिरिक्त यह भी शर्त होनी चाहिए कि ऐसे आयुक्त गत 10 वर्षों में कभी भी किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं रहे हों व किसी राजनैतिक दल से सम्बद्धता नहीं रखते हों ताकि राजनैतिक सड़ांध से आयोग दूर रहे।
6. प्राधिकरण के पास अपनी स्वयं का अनुसन्धान दल होना चाहिए जो कि आरोपित दुराचरण की जांच कर सके।
7. यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित निकाय होना चाहिए।

देश में संस्थापित पुलिस शिकायत प्राधिकरणों और मानवाधिकार आयोगों को इस पर तुरन्त संज्ञान लेना चाहिए और संगठन में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए।

सत्यमेव जयते

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला : मुम्बई कोर्ट का फैसला

दिनेश एमएन और बंजारा बरी

देश के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में आरोपी बनाने के बाद सात साल तक जेल में रह चुके पुलिस अधिकारी एवं उदयपुर के तत्कालीन एसपी दिनेश एमएन व गुजरात पुलिस अधिकाारी डीजी बंजारा को मुम्बई कोर्ट ने बरी कर दिया। दोनों अधिकारियों ने न्यायालय में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेश की थी। अब तक कोर्ट प्रदेश के 6 आरोपी पुलिसकर्मियों में से सीआई अब्दल रहमान, एसआई हिमांशु सिंह व श्याम सिंह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर चुका है। मामले में एएसआई नारायण सिंह, कांस्टेबल युद्धवीर व करतार के मामले में सुनवाई लम्बित है। गौरतलब है कि मामले में सीबीआई ने बीजेपी नेता गुजरात, राजस्थान, आंध्रा के आईपीएस सहित 35 लोगों को आरोपी बनायाथा। कोर्ट मामले की सुनवाई कर अब तक एनकाउंटर में मुख्य भूमिका निभाने वाले अमित शाह, गुलाबचंद कटारिया, मार्बल व्यवसायी विमल पाटनी, गुजरात के तत्कालीन डीजीपी डीसी पांडे, वर्तमान डीजीपी गीता जौहरी, आंध्रा के आईजी सुब्रमण्यम, गुजरात के आईपीएस राजकुमार पंडयन, ओपी माथुर, चूडाश्मा, डीवाईएसपी नरेन्द्र अमीन, दो अन्य व्यवसायी अजय पटेल, यशपाल चूडाश्मा सहित राजस्थान के हेड कांस्टेबल दलपत सिंह को बरी कर चुकी है। जिन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने 13 लोगों को बरी किया है, उन्हीं तथ्यों के आधार पर निरीक्षक अब्दुल रहमान, एसआई हिमांशु सिंह और श्याम सिंह व दिनेश एमएन ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी। इनमें से एमएन की स्वीकार हो गई जबकि अन्य की खारिज हो गई। दिनेश एमएन राजस्थान कैडर में 1995 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उनकी गिनती तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होती है। 26 नवम्बर, 2005 को हुए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में वे सात साल जेल में रह चुके हैं।

देश के सबसे चर्चित एनकाउंटरों में से एक सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में फंसे राजस्थान के आईजी दिनेश एमएन को मुम्बई सीबीआई ने क्लीन चिट के बाद आईजी दिनेश एमएन के परिचितों, रिश्तेदारों और समर्थकों में खुशी छा गई। फैसला आने के बाद आईजी की सास लक्ष्मी बोली मेरा दामाद ईमानदार, ईश्वर से न्याय मिला है। उन्होंने गणेशजी की मूर्ति के सामने माथ टेककर अपने बेटे आईजी दिनेश एमएन के बेहतर भविष्य की कामना की। वहीं दिनेश एमएन ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ईश्वर की कृपा से मेरे सभी साथियों का परिणाम भी सकारात्मक आयेगा। एमएन बोले कोर्ट केइस फैसले से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जनता और सरकार के विश्वास पर खरा उतरूं।

आईजी दिनेश एमएन के जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही स्वागत के लिए कतार लग गई। एसीबी और एसओजी के कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दिनेश एमएन के समर्थकों ने देश का हीरो कैसा हो, दिनेश एमएन जैसा हो के नारे लगाए। आईजी पर फूलों की बरसात की गई।

पुलिसकर्मियों को कभी भी अपने जीवन की व्यक्तिगत परेशानियों को काम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। पुलिस का काम गंभीर है। हमें हर रूप में परिवादी को सुनना ही पड़ेगा। यदि आप किसी भी पद पर बैठे हैं तो खुद की समस्या का बहाना नहीं बना सकते हैं। आईजी दिनेश एमएन ने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, पूरी फोर्स काम करती है।

''सत्यमेव जयते''

''क्षमा वीरस्य भूषणम्''

डॉ. प्रेमसुख सुराणा, ''योगाचार्य'', ''व. स्वाध्यायी'', ''श्रावक रत्न''

जब तक अपनी छद्मस्थ अवस्था है, तब तक पुण्य के समान पाप भी सम्भव है, सुकर्म के समान दुष्कर्म भी संभव है। किन्तु ऐसा पाप तथा दुष्कर्मों की शुद्धि होती है जैसे कि आग में तपने पर सोना शुद्ध हो जाता है, उसका मैल दूर हो जाता है, परन्तु आलोचना करने वाले पापभीरू आत्मा के महापुरुषों द्वारा कथित इस गाथा को सदा याद रखना चाहिए-

जह बोलो जंपंतो, कज्जमकज्जं च उज्जयं भवई।
तं तह आलोएज्मा, माया-मयविप्पमुक्को उ।।

अर्थात् बालक जिस प्रकार से बालक उचित या अनुचित कोई भी कार्य कर लेता है और बड़े सरल भाव से अपने पिता के सामने कह देता है, ठीक इसी प्रकार से साधक-श्रावक को भी गुरुजनों/सद्गुरुदेवों के समक्ष दम्भ और अभिमान से रहित होकर यथार्थ आत्मालोचना करनी चाहिए। अभी चातुर्मास चल रहा है। पर्यूषण पर्व में संवत्सरि महापर्व पर वर्ष भर के समस्त पापों का प्रायश्चित सद्गुरु देव के समक्ष करने पर वे कर्म निर्जरा का कारण बनते हैं। पापों का भार स्वतः कम हो जाता है। सद् गुरुदेव के समक्ष जब पाप प्रक्षालन हो जाता है तो आप स्वयं ''क्षमा वीरस्य भूषणम्'' के अधिकारी बन जाते हैं।

इस रीति से आत्मालोचना करने वाला व्यक्ति पापों के भार से वैसे ही हल्का हो जाता है जैसे कि सिर का भार उतार देने से भारवाहक। हमें भी आत्मा को हल्का बनाने के लिए प्रभु द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित को स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए हमें बालक के समान गुरुजनों के समक्ष सरलतापूर्वक पापों को प्रकट करने की तैयारी करनी चाहिए। पापशुद्धि के लिए हमारा भी वैसा ही मानस बने जैसा कि मंगलमूर्ति गणधर गौतम स्वामी जी का था। वाणिज्य ग्राम में शुद्ध आहार की गवेषणा (खोज) करते हुए गणधर गौतम स्वामी जी ने लोगों के मुख से श्रावक आनन्द का अनशन व्रत विषयक वार्तालाप सुना सुनकर गणधर भगवंत जी उनकी पौषधशाला में पधारे। गणधर भगवंत को देखते ही आनन्द श्रावक का मन वैसे ही खिल उठा जैसे की सूर्य को देखकर सूर्य विकासी कमल खिल उठता है। श्रावक आनन्द भाव से भरे दिल से वन्दना की ओर बोले-

''महाराज! मुझे अवधिज्ञान हुआ है, इस अवधिज्ञान के माध्यम से मैं पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में स्थित लवण समुद्र में पांच-पांच सौ योजन और उत्तर में हिमवान पर्वत तक, अधोलोकवर्ती पहली नरक के लोलमच्युत नरकावास तक तथा ऊर्ध्वलोक में सौधर्म विमान तक देख सकता हूँ।''

इस बात को सुनकर गणधर स्वामी जी ने कहा- ''आनन्द! गृहस्थ को अवधिज्ञान अवश्य हो सकता है परन्तु जितनी क्षेत्र मर्यादा तुम बता रहे हो उतने क्षेत्र तक का अवधि ज्ञान श्रावक को सम्भव नहीं। अतः आनन्द! इस अनशन व्रत में असत्य बोलने स्वरूप इस पाप की आलोचना करो, इसके लिये प्रतिक्रमण करो, इस पाप की निन्दा और गर्हा करो यह प्रायश्चित स्वरूप यथोचित तपःकर्म को स्वीकार करो।''

यह सुनकर आनन्द ने सकुचाते हुए विनीत वचनों से बोला- ''भंते! जिन प्रवचन में प्रायश्चित का विधान सत्य तथ्य, यथार्थ भाव कहने वाले के लिए है, या फिर विपरीत मिथ्या कहने वाले के लिए?''

गणधर भगवन्त जी ने सरलतापूर्वक इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा- ''जिन प्रवचन में प्रायश्चित की विधान मिथ्या कथन करने वाले के लिए है, सत्य यथार्थवादी के लिये नहीं।''

''तो भगवन्!'' आप ही मिथ्या कथन के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, गर्हा व यथोचित प्रायश्चित को स्वीकार करें। आनन्द श्रावक ने कहा।

यह सुनकर गणधर गौतम जी मन में शंका व जिज्ञासा को समेटे परमात्मा भगवन् प्रभु श्री महावीर स्वामी के पास पहुंचे। गोचरी की आलोचना करने के बाद गणधरजी ने आनन्द के साथ हुई बातचीत प्रभु को बताई व हम दोनों में से प्रायश्चित का अधिकारी कौन है? इस विषय पर जिज्ञासा प्रकट की। परमात्मा बोले- ''गौतम! आनन्द की बात सत्य है। प्रायश्चित के अधिकारी तुम हो। तुम आनन्द के पास जाओ और उनसे क्षमा मांग कर आओ।''

यह सुनते ही गणधर गौतम स्वामीजी तुरन्त आनन्द श्रावक के पास गए। उन्होंने सरलतापूर्वक क्षमायाचना की तथा दुष्कृत के लिये आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, गर्हा व यथोचित प्रायश्चित स्वीकार किया।

ऐसा क्षमा का उदाहरण पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। यही है वास्तव में ''क्षमा वीरस्य भूषणम्''

भाग्यशालियों! प्रतिक्रमण, निन्दा गर्हा व आलोचना करने के लिए चाहिए मात्र सरलता, विनम्रता व परमात्म आज्ञा के प्रति सम्पूर्ण समर्पण भाव। ये सब तत्व हमें गणधर गौतम स्वामीजी में परिलक्षित होते हैं। गणधर भगवंत ने ज्योंहि प्रभु महावीर के मुख से सुना कि आनन्द का कथन सत्य है और तुम उससे क्षमा मांगो, त्योंहि 14000 शिष्यों के स्वामी, चार ज्ञान के धारक तथा अनन्त लब्धियों के स्वामी गणधर गौतम स्वामी जी क्षमा मांगने के लिये चल पड़े। उनके दिल में स्वयं के ज्ञान का तथा प्रभु महावीर वीर के प्रमुख शिष्य होने का थोड़ा सा भी अभिमान न था, उन्होंने स्वयं के हृदय में यह भी नहीं सोचा कि एक मैं एक प्रमुख साधु होता हुआ भी श्रावक से कैसे क्षमा मांगूं? गणधर गौतम स्वामी जी को बस गणधर गौतम स्वामी जी का समर्पण भाव। इसीलिये तो वे मंगलस्वरूप बन गये, जिसके कारण हम कहते हैं-

''मंगलं गौतम प्रभु''

हम भी अपने जीवन में गणधर स्वामी जी के जीवन से विनम्रता, सरलता, शुद्धि की भावना समर्पण भाव, परमात्मा के उत्कृष्ट भक्तिभाव, इत्यादि अनेक गुणों को प्राप्त करें व मंगलमय बन जाएं।

अपने-अपने क्षेत्र में प्राप्त हुए इस ऐतिहासिक चातुर्मास में अपनी भूलों, त्रुटियों आदि का प्रायश्चित करते हुए ''क्षमा वीरस्य भूषणम्'' की सार्थकता को निश्चित करें।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1. श्री जे.पी. बंसल — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2. श्री दामोदर मिश्रा — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3. श्री वी.के. अग्रवाल — सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4. श्री डॉ.पी.एन. रछोया — सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5. डा. मोहिनी शर्मा — एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6. श्री रामदयाल खंडेलवाल — संस्थानिक प्रतिनिधि
7. श्री विष्णुकांत शर्मा — एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110, 9928440556 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org. ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।